PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page I

वर्ष 69 अंक 1

ISSN 2231-2439
जनवरी-जून 2025

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:11 AM Page II

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

Estd : 1939

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डॉ. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल लिटरेसी ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–43489048
ई–मेलः directoriaea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com
website: www.iaea-india.in; www.iiale.org

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 1

प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी–जून 2025
वर्ष 69 अंक 1

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
सुश्री निशात फारूख
प्रो. ऋतु त्रिवेदी

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

संयुक्त सम्पादक
राजेन्द्र जोशी

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

डिजिटल साक्षरता के प्रति युवा वर्ग में जागरुकता की आवश्यकता
– सौरभ मिश्र 4

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशः एक समग्र दृष्टिकोण
– सुरेखा खोत 14

कुछ कम प्रचलित घटनाएं
– वर्षा दास 19

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2022 में समग्र बाल विकास के लिए पंचकोश का महत्व
– मोनू सिंह गुर्जर 24

भारतीय संस्कृति का सामाजिक समरसता में समन्वयकारी रूप
– अनिल कुमार 33

गांधी दर्शन : मानव अधिकारों की आधारपीठिका
– अंशु गुप्ता 38

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
– ललित मोहन जोशी 43

पढ़ाई की कीमत
– राजेन्द्र जोशी 57

मूल्यः 200 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 2

उल्लास कार्यक्रम, उन्नत भारत अभियान और देश का सम्यक विकास

उच्च शिक्षा संस्थानों का महती उद्देश्य समय के अनुकूल नवीन ज्ञान का सृजन और देश के चहुंमुखी विकास को संचालित एवं सुनिश्चित करने के लिए योग्य मानव संसाधन तैयार करना है। उच्च शिक्षण संस्थाएं लगातार इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्रिय रहती हैं। बावजूद इसके इन संस्थाओं की उपब्लिधयों से समूचा देश समानरूप से लाभान्वित नहीं हो पाया है। शहर केन्द्रित विकास के मॉडल को प्राथमिकता दिया जाना ग्रामीण इलाकों के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अब जब सरकार से लेकर समाज तक, सभी लोग देश की आजादी का शताब्दी समारोह मनाने के समय तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि वे सभी इलाके और समुदाय जो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए उन्हें भी तत्काल विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के पिछड़ेपन को दूर किए जाने की चुनौती का सामना किया जाना जरूरी है। सरकार ने इस विषय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से विविध प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य करते हुए देश की उच्च शिक्षा संस्थानों का ध्यान ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने की ओर आकर्षित करने के लिए 'उन्नत भारत' कार्यक्रम की रचना की है। जहां 'उल्लास' जैसे कार्यक्रम के तहत देशभर में फैला हुआ स्कूली तंत्र शेष असाक्षरता को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है वहीं उन्नत भारत कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान और महाविद्यालय उन चुनौतियों के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं जिनके कारण हमारे गांव विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ने में विफल हो रहे हैं।

11 नवम्बर 2014 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लांच किया गया 'उन्नत भारत अभियान' का उद्देश्य गांधी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप आत्मनिर्भर 'ग्राम' बनाने में मद्द करना है। इस अभियान के तहत यह अपेक्षित है कि देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं संसाधनों की बहुमूल्य पूंजी का भरपूर लाभ ग्रामीण विकास प्रक्रिया में रूपांतरणकारी परिवर्तन लाने के लिए किया जाए। कार्यक्रम के तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को कम से कम पांच गांवों या स्थानीय समुदायों के समूह के साथ सक्रियरूप से जोड़ा जाय ताकि इन समुदायों के विकास मार्ग में आने वाली चुनौतियों का उचित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समाधान किया जा सके। इससे हमारे उच्च शैक्षिक संस्थान अपने ज्ञान आधार का उपयोग करके ग्रामीण समाज के आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।

उन्नत भारत अभियान अब अपने दूसरे फेज में है। इसके पहले फेज में 688 संस्थानों को चिन्हित किया गया था जिसमें 426 तकनीकि संस्थान और 262 गैर–तकनीकि संस्थान शामिल थे। यहां तकनीकि संस्थानों ने 2192 गांवों तथा गैर–तकनीकि सस्थानों ने 1363 गांवों को गोद लिया और इस प्रकार पहले फेज में कुल 3555 गांवों को विकास के मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। उन्नत भारत के दूसरे फेज में 840 संस्थानों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 521 तकनीकि तथा शेष 319 गैर–तकनीकी संस्थान हैं। इस प्रकार अब तक देश के 29 राज्यों तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेशों के कुल 592 जिलों में 19783 ग्राम गोद लिए गए हैं और कुल 4183 उच्च शिक्षण संस्थान इनकी उन्नति के लिए लगातार प्रयास/हस्तक्षेप कर रहे हैं।

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 3

संबद्ध उच्च शिक्षा संस्थानों की कोशिश है कि सस्टेनेबल कृषि और स्वच्छ उर्जा के माध्यम से ग्रामीण जनजीवन के स्तर को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाया जाय। जल एवं मलवा के प्रबंधन, विविध सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, कौशल विकास, स्वरोजगार उन्नयन, स्टार्टप को सहयोग तथा डिजिटल साक्षरता के प्रसार में भी गोद लिए गए गांवों में उच्च शिक्षा संस्थान अपना बेहतर योगदान दे रहे हैं।

इस प्रकार उन्नत भारत अभियान विकसित भारत के निर्माण में उच्च शिक्षा की भूमिका को पुनः परिभाषित कर रहा है। यह विद्वानों/छात्रों को कक्षा एवं प्रयोगशालाओं से बाहर आ ग्रामीण जनजीवन से जमीनी स्तर पर सरोकार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जिससे वे नवीन ज्ञान के विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयुक्त शोध कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों। स्वाभाविक ही इससे शोध क्षेत्र में विषयों की पुर्नरावृति से छुटकारा मिलेगा तथा शोध कार्य को नवीन दिशा देने में मदद मिलेगी जहां शोधार्थी सामुदायिक सहभाग आधारित शोधकार्य के लिए उन विषयों का चयन करेंगे जो ग्रामीण जनजीवन के स्तर को उत्तरोतर विकास के मार्ग पर अग्रसरित करने में मदद करेगा।

— बी. संजय

PROUDH SHIKSHA
Form IV

1.	Place of Publication	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
2.	Periodicity of Publication	Half Yearly
3.	Printer's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
4.	Publisher's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
5.	Editor's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
6.	Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders, holding more than one percent of the total capital	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

I, Suresh Khandelwal, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: 29-2-2025

Sd/-
Suresh Khandelwal
Publisher

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:18 AM Page 4

डिजिटल साक्षरता के प्रति युवा वर्ग में जागरुकता की आवश्यकता

– सौरभ मिश्र

डिजिटल साक्षरता आज के समय में समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिसका महत्व भारत के साथ–साथ दुनिया का हर देश महसूस कर रहा है। साक्षर होना तो हर किसी के लिए जरुरी है लेकिन वर्तमान में डिजिटल साक्षरता सामान्य साक्षरता से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आज दुनिया का हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से सम्पर्क में है तो, वह डिजिटल, तकनीकि विकास और इंटरनेट के कारण संभव हो सका है। चाहे वर्तमान और भविष्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था हो या रोजमर्रा की जिन्दगी का सुगम संचालन, दोनों में ही "डिजिटल साक्षरता" का महत्वपूर्ण योगदान है।

एक शोध से पता चला है कि, डिजिटल साक्षरता के स्तर में अन्तर मुख्य रुप से उम्र व शिक्षा स्तर पर निर्भर करता है, जबकि लिंग का प्रभाव कम हो रहा है। युवा लोगों में डिजिटल साक्षरता अपने परिचालन आयाम में उच्च है। युवा तेजी से हाईपरटेक्स्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार के ऑनलॉइन संसाधनों से परिचित होते हैं। हालांकि, सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल ऑनलाईन शो में कम होना पाया गया है। युवाओं के बीच डिजिटल कनेक्टीविटी बढ़ने के साथ डिजिटल सुरक्षा की चिन्ताएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गयी हैं।

पोलैंड में राष्ट्रीय ज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित एक अध्ययन में डिजिटल और ऑनलाईन सुरक्षा के सम्बन्ध में माता–पिता की डिजिटल साक्षरता को मापा गया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि, माता–पिता अक्सर अपने ज्ञान के स्तर को अधिक महत्त्व देते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया के प्रति उनके बच्चों के दृष्टिकोण का उनके व्यवहार पर स्पष्ट रुप से प्रभाव पड़ता है।

"डिजिटल साक्षरता" की उत्पत्ति

20वीं सदी के अंत में पीसी और इंटरनेट के आगमन के साथ डिजिटलीकरण ने लोकप्रियता हासिल की। इन तकनीकों ने सूचना के कई अलग–अलग रुपों, जैसे पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो को डिजिटल रुपों में परिवर्तित करना संभव बना दिया। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने संचार और वाणिज्य में क्रांति ला दी है और आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है।

"डिजिटल साक्षरता" एक परिचय

व्यक्ति का समाज में हो रहे तकनीकि विकास और कौशल के बारे में जागरूक होना, जिससे वह इंटरनेट प्लेटफार्म्स, सोशल मीडिया, मोबाईल फोन आदि का उपयोग अच्छे प्रकार से करने में सक्षम हो, जिससे वह समाज के साथ–साथ अपने आवश्यकताओं की पूर्ति भी डिजिटल उपकरणों के माध्यम से करने में सामार्थ्यवान हो, "डिजिटल साक्षरता" कहलाता है।

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 5

तालिका सं.–1: डिजिटल साक्षरता के मामले में भारत में शहरी तथा ग्रामीण परिवार में कम्प्यूटर होने के आंकड़े

कम्प्यूटर की परिवार में उपलब्धता	शहरी	ग्रामीण
डिजिटल साक्षरता के मामले में भारत में परिवारों में कम्प्यूटर होने के आंकड़े	23%	4%
15 वर्ष से 26 वर्ष की आयु के नौजवान जो कि कम्प्यूटर संचालित करने में सक्षम हैं	56%	24%
इंटरनेट का उपयोग करने वाले	58%	25%

तालिका सं. 1 से ज्ञात होता है कि डिजिटल साक्षरता के मामले में भारत के 23% शहरी परिवारों में कम्प्यूटर है वहीं ग्रामीण परिवारों में यह सिर्फ 4% तक ही सीमित है जो कि बहुत कम है। इससे पता चलता है कि, "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल इंण्डिया साक्षरता अभियान" के तहत प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को डिजिटल साक्षरता अथवा कम्प्यूटर साक्षरता की विशेष आवश्यकता है ताकि ग्रामीण परिवारों में डिजिटल साक्षरता के मामले में कम्प्यूटर होने के आंकड़ों में इजाफा हो सके। वहीं दूसरी ओर 15 वर्ष से 26 वर्ष की आयु के नौजवान में ग्रामीण नौजवानों को कम्प्यूटर संचालित करने में शहर की तुलना में कम सक्षम पाया गया। ग्रामीण नौजवानों में सिर्फ 24% कम्प्यूटर संचालित कर सकते हैं जबकि शहरी नौजवान में कम्प्यूटर संचालित करने की दक्षता 56% नौजवानों में पाया गया है। अतः 15 वर्ष से 26 वर्ष की आयु के ग्रामीण नौजवानों को कम्प्यूटर संचालित करने में विशेष रुप से सक्षम बनाना आवश्यक है। वहीं तीसरी ओर इंटरनेट के उपयोग करने की बात कहें तो ग्रामीण समुदाय में यह स्तर सिर्फ 25% है जो कि शहर में इंटरनेट का उपयोग करने वालों के आंकड़ों से कम है। अतः ग्रामीण स्तर पर इंटरनेट सम्बन्धी जानकारी में कमी पायी गयी है जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

तालिका सं.– 2: द इकोनामिक्स टाइम्स के सर्वे के अनुसार इंटरनेट गतिविधियों के प्रकार के आधार पर वर्ष 2020 में भारत में डिजिटल साक्षरता का लैंगिक अन्तर

स्त्रोत		इन्टरनेट में खोजबीन एवं ब्राउज करना	सोशल मीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग	अनुलग्नक फाईल के साथ ईमेल भेजना	सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टाल करना	कनेक्टिंग डिवाईसेस
1		2	3	4	5	6
आँकड़े	पुरुष	48%	44%	22%	8.2%	3.4%
	महिला	37%	33%	16%	6.4%	2.3%

तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि सन् 2020 में डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता दर अधिक पायी गयी। पुरुष आबादी में इंटरनेट खोजने और ब्राउज करने की दर 48% थी जबकि महिलाओं की आबादी में यह दर 37% थी। इतना ही नहीं, कॉलम 2 से लेकर कॉलम 6 तक में सभी दरें महिलाओं के हिस्से में कम पायी गयीं जो कि चिंता का विषय है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब महिलाओं एवं छात्राओं को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान कराना अतिआवश्यक है ताकि कॉलम 2 से लेकर कॉलम 6 तक के सभी आयामों में महिलाओं के अनुपात के स्तर में बढ़ोत्तरी हो सके।

तालिका सं.–3: इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार भारत में पारिवारिक डिजिटल साक्षरता का स्तर

स्तर	डिजिटल रुप से साक्षर परिवारों का प्रतिशत
राष्ट्रीय स्तर पर	38%
ग्रामीण क्षेत्र	25%
शहरी क्षेत्र	61%

तालिका संख्या 3 में दिए गए आंकड़ों में हम पाते हैं कि भारत में मात्र 38% परिवार ही डिजिटल रुप से साक्षर हैं। यदि केवल ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां मात्र 25% परिवार जबकि शहरी क्षेत्रों में 61% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं। अतः डिजिटल साक्षरता के तहत ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को डिजिटल रुप से साक्षर बनाए जाने की विशेष आवश्यकता है।

तालिका सं.–4: स्नातक स्तर के अनुसार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता का स्तर

शैक्षिक सदस्यों की स्थिति	स्तर	आँकड़ें
स्नातक सदस्य हैं	ग्रामीण	71%
	शहरी	90%
	राष्ट्रीय स्तर पर	82%
स्नातक सदस्य नहीं हैं	ग्रामीण	15%
	शहरी	34%
	राष्ट्रीय स्तर पर	20%

तालिका संख्या 4 के अनुसार शिक्षा के मामले में, यदि परिवार का कोई सदस्य स्नातक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के डिजिटल रुप से साक्षर होने की 71% सम्भावना है और शहरी क्षेत्रों में 90% है। वहीं दूसरी ओर यदि परिवार का कोई सदस्य स्नातक नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के डिजिटल रुप से साक्षर होने की 15% संभावना दिखायी देती है और शहरी क्षेत्रों में 34% दिखायी देती है।

तालिका सं.–5: व्यावसाय के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का स्तर

व्यावसायिक स्थिति		डिजिटल रुप से साक्षर परिवारों का प्रतिशत
व्यावसाय के अनुसार शहरी भारत में डिजिटल साक्षरता का स्तर	अन्य	57%
	अनौपचारिक श्रम/आकस्मिक श्रमिक	30%
	नियमित मजदूरी/वेतनभोगी	73%
	स्वनियोजित	60%
व्यावसाय के अनुसार ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का स्तर	अन्य	23%
	गैर–कृषि में सामयिक श्रम	15%
	कृषि में सामयिक श्रम	13%
	गैर–कृषि में निममित मजदूरी/वेतन	53%
	कृषि में नियमित मजदूरी/वेतन	24%
	गैर कृषि में स्वरोजगार	32%
	कृषि में स्वरोजगार	26%

तालिका 5 के अनुसार शहरी भारत में नियमित मजदूरी/वेतनभोगी श्रमिकों में डिजिटल साक्षरता सबसे अधिक 73% है और यह आकस्मिक श्रमिकों में सबसे कम 30% है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत में व्यावसाय प्रोफाइल के अनुसार, गैर–कृषि व्यवसायों से नियमित मजदूरी/वेतन प्राप्त करने वाले परिवारों में डिजिटल रुप से साक्षर परिवारों का प्रतिशत लगभग 53% है। इसके विपरीत, कृषि क्षेत्र में आकस्मिक श्रमिकों की डिजिटल साक्षरता का स्तर सबसे कम 13% है।

तालिका सं.–6: सामाजिक समूह के आधार पर भारत में डिजिटल साक्षरता का स्तर

सामाजिक समूह	स्तर	डिजिटल रुप से साक्षर परिवारों का प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	ग्रामीण	15%
	शहरी	54%
	राष्ट्रीय स्तर पर	21%
अनुसूचित जाति	ग्रामीण	20%
	शहरी	47%
	राष्ट्रीय स्तर पर	26%
अन्य पिछड़ा वर्ग	ग्रामीण	26%
	शहरी	56%
	राष्ट्रीय स्तर पर	36%
अन्य	ग्रामीण	36%
	शहरी	72%
	राष्ट्रीय स्तर पर	53%

तालिका 6 में जब हम सामाजिक समूहों को देखते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजातियों में डिजिटल रूप से साक्षर पारिवारों का प्रतिशत सबसे कम अर्थात 21% है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल रुप से साक्षर परिवारों का प्रतिशत 15% और शहरी क्षेत्रों में 54% है। जबकि अन्य के अंतर्गत आने वाले सामाजिक समूहों में राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल रुप से साक्षर परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक अर्थात 53% है। इस प्रकार तालिका 6 के आंकड़ों में सामाजिक समूहों में ग्रामीण–शहरी विभाजन स्पष्टरूप से दिखायी देता है।

तालिका सं.–7 : भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में डिजिटल साक्षरता प्रतिशत

वर्ग अन्तर	0% – 20%	20% – 40%	40% – 60%	60% – 80%
भारत के प्रमुख राज्य	त्रिपुरा लद्दाख	जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार झारखण्ड मणिपुर नागालैण्ड अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय पश्चिम बंगाल उड़ीसा आन्ध्र प्रदेश छत्तीसगढ़	हिमाचल पंजाब हरियाणा उत्तराखण्ड मिजोरम गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडू	दिल्ली गोवा केरल

तालिका संख्या 7 के अनुसार भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में डिजिटल साक्षरता प्रतिशत का स्तर देखें तो पायेंगे कि त्रिपुरा और लद्दाख में डिजिटल साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है जबकि दिल्ली, गोवा व केरल में डिजिटल साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इनके अलावा बाकी के राज्यों में डिजिटल साक्षरता का स्तर कॉलम 3 के अन्तर्गत पन्द्रह राज्यों में 20% से 40% और कॉलम 4 के दस राज्यों में 40% से 60% है।

डिजिटल साक्षरता का महत्त्व

डिजिटल साक्षरता के महत्व को देश में बड़े स्तर पर महसूस किया जा सकता है, जहाँ देश में हर एक छोटे–छोटे कार्य को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार "स्टेम शिक्षा (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और ऐसा माना जाता है कि, भविष्य में इन चार क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त किए युवक ही अधिकतर क्षेत्र में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे और इस प्रकार डिजिटल साक्षरता समाज में अवसरों की वृद्धि करने में कारगर सिद्ध होगा।

डिजिटल साक्षरता के लिए सरकार की पहल

भारत सरकार के द्वारा भी बहुत से कदम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं जिससे आम लोगों में कम–से–कम इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के बारे में बुनियादी जानकारी दी जा सके। इसे लोग आसानी से सीख पायेंगे जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और बेरोजगारी दूर होगी।

डिजिटल साक्षरता का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग

सामाज प्रौद्योगिकी निर्भर दुनिया की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए शिक्षा में डिजिटल तकनीकि को लागू करना आवश्यक है। इसके तहत अक्सर कक्षा में कम्प्यूटर, पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर का उपयोग और छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामाग्री उपलब्ध करायी जाती है। छात्रों को साक्षरता कौशल सिखाया जाता है। गूगल और विकिपीडिया का उपयोग अक्सर छात्रों द्वारा "दैनिक जीवन अनुसंधान के लिए" किया जाता है और ये अनेक उपकरणों में से केवल दो सामान्य उपकरण हैं जो आधुनिक शिक्षा को सुविधाजनक बनाते हैं।

डिजिटल अधिकार

डिजिटल अधिकार एक व्यक्ति के वे अधिकार हैं जो उन्हें ऑनलाइन सेटिंग में अभिव्यक्ति और विचार की स्वतन्त्रता की अनुमति देते हैं, जिनकी जड़ें मानव के सैद्धांतिक और व्यावहारिक अधिकारों पर केन्द्रित हैं। पारंपरिक शिक्षाविदों से परे जाकर, कॉपीराईट, नागरिकता और बातचीत जैसे नैतिक अधिकारों को डिजिटल साक्षरता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि आजकल उपकरणों और सामग्रियों को आसानी से कॉपी किया जा सकता है, उधार लिया जा सकता है, चुराया जा सकता है और पुनः उपयोग किया जा सकता है।

डिजिटल नागरिकता

डिजिटल नागरिकता का तात्पर्य "समाज में ऑनलाईन भाग लेने का अधिकार" से है। वह राज्य–आधारित नागरिकता की धारणा से जुड़ा है जो उस देश या क्षेत्र द्वारा निर्धारित होती है जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है।

डिजिटल साक्षरता के फायदे अथवा नुकसान

"डिजिटल इण्डिया" भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया एक अभियान है जो हर सरकारी सेवाओं को बेहतर ऑनलाईन अवसंरचना के माध्यम से नागरिकों तक उपलब्ध कराए जाने और देश को तकनीकि रुप से डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। "डिजिटल इण्डिया" एक अभियान के तहत यह सुनिश्चित करता है कि ऑनलाईन बुनियादी ढांचे में सुधार करके और इंटरनेट कनैक्टीविटी बढ़ाकर या देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रुप से सशक्त बनाकर नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलैक्ट्रानिक्स रुप से उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य ई–गवर्नेंस, इलैक्ट्रानिक लेन–देन, रोजगार सृजन और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) शिक्षा के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान करना है।

इंटरनेट, मोबाईल फोन, मोबाईल एप्लिकेशन, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य आधुनिक उपकरणों के विकास के कारण आज के दुनिया की अधिक से अधिक चीजें डिजिटल हो रही हैं। भारत के महानगरों और अन्य शहरों की शिक्षा प्रणाली भी काफी हद तक आधुनिकीकृत हो गयी हैं जिससे डिजिटलीकरण के लिए रास्ता बन गया है। डिजिटल शिक्षा कई अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के साथ–साथ भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में अपनी जगह बना रही है और पारंपरिक कक्षा प्रशिक्षण का स्थान ले रही है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल इंण्डिया साक्षरता अभियान

डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी देगी। साथ हीं साथ इंटरनेट सुविधाओं का लाभ किस प्रकार उठाना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत 2022 में यह लक्ष्य रखा गया कि जिन ग्रामीण परिवार में कोई भी सदस्य डिजिटल साक्षर नहीं है उनके परिवारों में किसी एक सदस्य को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा।

डिजिटल इण्डिया की पहल के अन्तर्गत आने वाले प्रोग्राम अथवा परियोजनाएं

- भारत नेट परियोजना– इसके अन्तर्गत 2.5 लाख लोगों को ऑप्टीकल फाईबर के जरिए इंटरनेट प्रदान करने की योजना है।
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान– इसका उद्देश्य प्रति परिवार के एक सदस्य को डिजिटल रुप से साक्षर बनाना है।
- इंटरनेट साथी प्रोग्राम– इस कार्यक्रम में गूगल इण्डिया और टाटा ट्रस्ट के द्वारा मिलकर ग्रामीण भारतीय महिलाओं को डिजिटल साक्षरता की सुविधा प्रदान करना है।
- उन्नति परियोजना– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब छात्राओं को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान कराती है ताकि स्कूलों में डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके।

डिजिटल साक्षरता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंटरनेट के उपयोग को 'अनुच्छेद–21ए' के तहत नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि, डिजिटल साक्षरता भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- वर्ष 2016 के मध्य में जारी एक रिपोर्ट में यह पाया कि देश में डिजिटल साक्षरता की दर 10% से भी कम है।
- राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन द्वारा शिक्षा पर किए गए सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार – भारत में केवल 27% परिवार ही ऐसे हैं जहाँ किसी एक सदस्य के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और इंटरनेट की सीमित उपलब्धता डिजिटलीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या है।
- भारत में अधिकांश मोबाईल व इंटरनेट उपयोगकर्ता शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं जबकि भारत की कुल आबादी का 67% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अतः इनके लिए

डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है।

- किसी व्यक्ति के पास मोबाईल फोन होना 'डिजिटल' होने का प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोगकर्त्ता है तो भी वह स्वयं को 'डिजीट सेवी' नहीं कह सकता है जब तक कि उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी न हो और वह इंटरनेट पर प्रासंगिक और समय पर जानकारी प्राप्त करना न जानता हो।
- भारत में मात्र 16% महिलाएँ मोबाईल इंटरनेट से जुड़ी हैं जो कि डिजिटलीकरण की दिशा में लैंगिक विभेद का स्पष्ट रेखांकन दर्शाती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिजिटल साक्षरता को "व्यक्तियों की जीवन स्थितियों के भीतर सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझने और उपयोग करने की क्षमता" के रुप में परिभाषित करता है। कोई भी व्यक्ति जो कम्प्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन संचालित कर सकता है और अन्य आई.टी. से सम्बन्धित उपकरणों का उपयोग कर सकता है उसे डिजिटल रुप से साक्षर माना जाता है।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशनः

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में छः करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य को इस मिशन के द्वारा लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुँचना है।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कम्प्यूटर चलाने के डिजिटल एक्सेस डिवाइसों (जैसे टैबलेट, स्मार्ट फोन आदि) से ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राऊज करने, सरकारी सेवाओं का उपयोग करने, सूचना के लिए खोज करने, डिजिटल भुगतान करने आदि सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनुप्रयोगों विशेषकर डिजिटल भुगतान में दक्ष हो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रुप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।

डिजिटल साक्षरता – समाज में भूमिका

विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के सही उपयोग के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। सामाजिक नेटवर्क सेवाओं और वेबसाईटों में साक्षरता लोगों को दूसरों के साथ सम्पर्क में रहने, समय पर जानकारी देने और यहाँ तक की सामान और सेवाएं खरीदने और बेचने में मदद करती है। डिजिटल साक्षरता लोगों को ऑनलाईन धोखधड़ी से भी बचा सकती है, क्योंकि फोटो हेरफेर, ईमेल धोखाधड़ी और फिशिंग जैसे डिजिटल हेराफेरी से बचने का कारगर तरीका डिजिटल साक्षरता हीं हो सकता है। इससे पीड़ित पहचान की चोरी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हालाँकि, इन हेराफेरी और धोखाधड़ी के कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का उपयोग करने वालों के पास तकनीकि प्रवृत्तियों और निरंतरता को समझकर पीड़ितों को बेवकूफ बनाने की डिजिटल साक्षरता क्षमता होती है।

डिजिटल साक्षरता के होने वाले लाभ

आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत में अनुमानतः 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ता मौजूद होंगे, जो कि काफी बड़ी संख्या है। उल्लेखनीय है कि भारत, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा

ऑनलाईन बाजार है, जहाँ लगभग 460 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ता मौजूद हैं। डिजिटल प्लेटफार्म देश के सभी लोगों को सरकार से संवाद हेतु एक व्यापक और पारदर्शी मंच देता है। डिजिटल साक्षरता से अर्थिक क्रांति को भी बल मिलेगा। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने व डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल साक्षरता एक दूसरे के लिए परस्पर सहयोगी सिद्ध होंगे।

References:

- https://societalaffairs.com/importance-of-digital-literacy-in-india-hindi
- https://www.techtarget.com/whatis/definition/digitization#:~:text=The%20history%20of%20digitization,and%20video%2C%20into%20digital%20forms
- https://www.shiveshpratap.com/डजिटिल-साक्षरता-नबिंध-need-for-digital-literacy/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_literacy
- https://www.india.sarkar.bharat/spotlight/डजिटिल-इंडया-डजिटिल-रूप-से-सशक्त-समाज-और-ज्ञान-अर्थव्यवस्था-के-लिए-एक-कार्यक्रम#tab=tab-1
- https://www.edtechreview.in/trends-insights/insights/what-is-digital-literacy-its-importance-and-challenges/
- https://hindi.economictimes.com/wealth/personal-finance/how-to-pay-penalty-to-link-pan-with-aadhaar/articleshow/101575291.cms
- https://indjst.org/articles/hybrid-warfare-and-social-media-need-and-scope-of-digital-literacy
- https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/digital-literacy-beyond-texting-and-gaming-1023703-2017-07-
- https://www.statista.com/statistics/1389958/india-gender-gap-in-digital-literacy-by-internet-activity/
- https://www.ideasforindia.in/topics/governance/the-digital-dream-upskilling-india-for-the-future-hindi.html
- https://www.shiveshpratap.com/
- https://hindimekuch.com/2021/11/advantages-disadvantages-of-digital-india-html
- https://www.deshbandhu.co.in/parishist/advantages-and-disadvantages-of-digital-education-61629-2

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 14

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशः एक समग्र दृष्टिकोण

– सुरेखा खोत

शिक्षा समाज की रीढ़ होती है, और यह किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो मुख्य रूप से सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, छात्रों को व्यावहारिक कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अक्सर विफल रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ''उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश'' एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उन कौशलों से सुसज्जित करना है, जो उन्हें उद्योग और रोजगार की मांगों के अनुरूप तैयार करें।

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेश का तात्पर्य वस्तुतः शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कौशल–आधारित प्रशिक्षण को शामिल करने से है। यह छात्रों को उद्योगों में सीधे उपयोग होने वाले कौशल, तकनीकि दक्षता और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा को रोजगार–उन्मुख बनाना और छात्रों को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में व्यावयायिक शिक्षा का इतिहास प्राचीन काल से ही रहा है। गुरूकुल प्रणाली में छात्रों को शास्त्रों के साथ–साथ व्यावसायिक कौशल जैसे कृषि, शिल्प, और युद्ध–कला की शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक युग में, अंग्रेजों ने व्यावसायिक शिक्षा को औद्योगिक क्रांति के तहत एक नया स्वरूप प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की। लेकिन वैश्विक विकास की तेज रफ्तार को गति देने के लिए शिक्षा प्रणाली में भी लगातार परिवर्तन की गुंजाईश है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा अनवरत प्रयास जारी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली आज अपने पूर्ण विकास की ओर अग्रसरित है।

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता

- **बेरोजगारी की समस्याः** भारत में बढ़ती बेरोजगारी एक प्रमुख चिंता का विषय है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश युवा रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से वंचित रहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा इस समस्या का समाधान कर सकती है।
- **तकनीकि प्रगतिः** आधुनिक युग में, तकनीकि विकास ने उद्योगों की कार्यप्रणाली को बदल दिया है। इसके लिए छात्रों को तकनीकि और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है।

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** वैश्वीकरण के युग में, भारतीय छात्रों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा उन्हें इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
- **उद्यमशीलता का विकास:** व्यावसायिक शिक्षा छात्रों में उद्यमशीलता के गुणों का विकास करती है, जिससे वे नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं।

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेश से लाभ

- **रोजगार के अवसर:** व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार करती है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं।
- **व्यावहारिक ज्ञान:** यह प्रणाली छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करती है।
- **आत्मनिर्भरता:** व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने कौशल का उपयोग करके स्वरोजगार की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **राष्ट्रीय विकास:** एक कुशल कार्यबल देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उच्च शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा के समावेश की चुनौतियां

- **बुनियादी ढ़ांचे की कमी:** व्यावसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की कमी एक बड़ी बाधा है।
- **शिक्षकों की कमी:** व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता भी एक महत्वूपर्ण चुनौती है।
- **सामाजिक पूर्वाग्रह:** व्यावसायिक शिक्षा को अब भी पारंपरिक शिक्षा से कमतर माना जाता है, जिससे इसके प्रति छात्रों और अभिभावकों में रूचि कम होती है।
- **उद्योग और शिक्षा के बीच अंतर:** उद्योगों की मांग और शिक्षा प्रणाली के बीच तालमेल की कमी है।

व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उपाय

- **नीतियों का निर्माण:** सरकार को व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्माण करना चाहिए।
- **सार्वजनिक–निजी भागीदारी:** उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

- **शिक्षा का आधुनिकीकरणः** पाठ्यक्रमों को आधुनिक उद्योगों की मांगों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- **सामाजिक जागरूकताः** व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

- तकनीकि पाठ्यक्रम : कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, ऑटोमेशन।
- सेवा क्षेत्र : होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, हेल्थकेयर।
- उद्योग आधारित पाठ्यक्रम : मशीन ऑपरेशन, इंजीनियरिंग डिजाइन।
- कला और शिल्प : फैशन डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल ज्वैलरी निर्माण।

व्यावसायिक शिक्षा के प्रभाव

- **सामाजिक बदलावः** व्यावसायिक शिक्षा ने समाज में कौशल–आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है।
- **उद्योग के लिए लाभः** उद्योगों को कुशल कार्यबल मिलने से उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- **छात्रों के लिए अवसरः** यह प्रणाली छात्रों को विविध क्षेत्रों में करियर बनाने के अवसर प्रदान करती है।
- **समाजिक समानताः** व्यावसायिक शिक्षा से सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर मिलते हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा के समावेश की स्थिति

भारत में व्यावसायिक शिक्षा अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। सरकार और निजी संस्थान इसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

- **सरकारी योजनाएंः** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य योजनाएं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई हैं।
- **निजी भागीदारीः** कई निजी संस्थान और उद्योग भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदानकर रहे हैं।
- **चुनौतियांः** छात्रों और अभिभावकों में जागरूकता की कमी, बुनियादी ढ़ांचे का अभाव और योग्य शिक्षकों की कमी।

व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार

व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को रोजगार–उन्नमुख बनाना है। यह प्रणाली छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकि कौशल प्रदान करती है, जो उन्हें विभिन्न उद्योगों में रोजगार के लिए तैयार करती है।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश वर्तमान समय की मांग है। यह न केवल छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता की ओर भी प्रेरित करता है। हालांकि, इसके समुचित कार्यान्वयन के लिए नीतिगत समर्थन, संसाधनों का विकास, और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो व्यावसायिक शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकती है।

विस्तार की संभावनाएं

इस लेख के किसी भी बिंदु को और अधिक विस्तार से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है ताकि उच्च शिक्षा को और भी प्रभावी बनाया जा सके। व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े आंकड़ों, नीतियों, और क्षेत्रीय प्रयासों पर अधिक जानकारी जोड़ी जा सकती है।

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेश के संदर्भ में सांख्यिकीय डेटा का समावेश इस विषय की गहन समझ प्रदान करता है। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होती हैः

उच्च शिक्षा में संस्थानों और नामांकन की वृद्धि

- **विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धिः** स्वतंत्रता के बाद से, भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या में 40 गुना, महाविद्यालयों में 80 गुना, विद्यार्थियों की संख्या में 80 गुना और शिक्षकों की संख्या में 30 गुना वृद्धि हुई है।
- **सकल नामांकन अनुपातः** वर्ष 2002 – 03 में उच्च शिक्षा में जीईआर 9 प्रतिशत था, जो 2013 – 2014 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत, 2020 तक जीईआर को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।
- **नामांकनः** वर्ष 2021 – 22 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र नामांकन की संख्या 4.33 करोड़ थी, जो 2014 – 15 में मात्र 3.42 करोड़ थी। यह एक उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। उच्च शिक्षा में नामांकित महिलाओं की संख्या 2021 – 22 में 2.07 करोड़ थी, जो 2014 – 15 में मात्र 1.5 करोड़ ही दर्ज की गयी थी।

निजी संस्थानों की भूमिका

- **निजी महाविद्यालयों की संख्याः** वर्ष 2014 तक, भारत में कुल 36,812 महाविद्यालय थे, जिनमें से 20,390 निजी और 6,768 सरकारी महाविद्यालय थे।
- **निजी क्षेत्र का योगदानः** उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है, जो छात्रों को विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के अवसर प्रदान करती है।

व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति

- **व्यावसायिक शिक्षा का समावेशः** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा।
- **कौशल विकासः** सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके।

चुनौतियाँ

- **बेरोजगारीः** विकासशील देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की दर विकसित देशों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक है। कई नए शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे स्नातक रोजगार बाजार के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं।
- **शिक्षकों की संख्या में वृद्धिः** वर्ष 2013 – 14 से 2021 – 22 के बीच शिक्षकों की संख्या में केवल 17% की वृद्धि हुई, जो कि 2 प्रतिशत की मामूली वार्षिक वृद्धि है।

उपरोक्त आंकड़े उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेश की दिशा में भारत की प्रगति और उससे संबंधित चुनौतियों को स्पष्ट करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के समावेश से छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने में मदद मिलती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हालांकि, गुणवत्ता, अभिगम्यता, और शिक्षकों की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है ताकि उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेश का प्रयास सफल हो सके।

❍❍❍❍❍

"जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं।"

– कविगुरू रवीन्द्रनाथ टैगोर

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 19

कुछ कम प्रचलित घटनाएं

– वर्षा दास

2 अक्टूबर और 30 जनवरी के आगे–पीछे गांधीजी की प्रासंगिकता के बारे में कई व्याख्यान और परिसंवाद होने लगते हैं। बचपन से हम हमारी पौराणिक और समसामयिक कहानियों में सुनते आए हैं कि 'हीरो' ने 'विलेन' को मार डाला। उसे सराहते हैं। यह भी तो हत्या है। क्या वह सही है? कोई भी मनुष्य सौ प्रतिशत बुरा या सौ प्रतिशत अच्छा नहीं होता।

गांधीजी समयातीत हैं और संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। उनके बारे में विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में अनेक पुस्तकें अतीत और वर्तमान में लिखी जा चुकी हैं और भविष्य में भी लिखी जाएंगी।

अपनी आत्मकथा जिसे गांधी जी 'सत्य के प्रयोग' कहते हैं' उसके अंतिम प्रकरण में वे कहते हैं कि उनका जीवन 1921 से इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि अब आत्मकथा के लेखन को आगे बढ़ाया जाना उचित नहीं होगा।

गांधीजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उनके सत्याग्रह, अनशन, कारावास, कई प्रकार के प्रयोग, आश्रम, जीवन इत्यादि के बारे में हम सुनते आए हैं। पिछले दिनों मैंने अपने घर के निजी पुस्तकालय में गांधीजी के बारे में गुजराती में लिखी गई कुछ पुस्तकों में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा जो इतनी प्रचलित नहीं हैं। उनमें से कुछ को यहां साझा कर रही हूं।

एक समय ऐसा था जब गांधीजी खाने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। आहार से संबंधित उनके प्रयोग तो काफी अर्से के बाद शुरू हुए थे। एक ही बारी में वे तीस 'पुरणपोली' (दाल से भरी हुई मीठी रोटी) खा जाते थे। और थाली भर के पकोड़े भी खा लेते थे। एक बार गांधीजी आश्रम की बहनों को उबले हुए आहार के गुणों के बारे में बता रहे थे। तब पास में बैठी हुई कस्तूरबा ने कहा, आप खुद कितने शौकीन थे और कितना खाते थे, वह भूल गए क्या? जो इन छोटी बहनों को और बच्चों को उबला हुआ खाने की सलाह दे रहे हो? यह सुनकर गांधीजी हंस पड़े और बोले, ''तुम ही मेरे खिलाफ इन बहनों का पक्ष लोगी तो ये बहने क्या मेरी बात सुनेंगी?''

साबरमती आश्रम में गांधीजी ने आश्रमवासियों के साथ सोयाबीन का प्रयोग शुरू किया था। उन दिनों सोयाबीन के अद्‌भुत गुणों के बारे में अखबारों में बहुत लिखा जाता था। ऐसा भी कहा जाता था कि दूध के एवज में सोयाबीन ले सकते हैं। गांधीजी सोयाबीन को अलग–अलग तरीके से पकवाकर भोजन के समय परोसते थे। अन्य दलहनों की तुलना में सोयाबीन हजम होने में कठिन और स्वादिष्ट भी कम था। सोयाबीन का प्रयोग किसी को अनुकूल नहीं रहा, गांधीजी को भी नहीं! इसीलिए ही उस प्रयोग को छोड़ दिया गया। गांधीजी के चचेरे बड़े भाई थे खुशालचंद गांधी। उनके बेटे छगनलाल और उनके बेटे प्रभुदास गांधी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के समय के अपने संस्मरण 600 से भी अधिक पृष्ठों की पुस्तक 'जीवननुं परोढ़' में प्रकाशित किए थे। महेन्द्र मेघाणी ने उस पुस्तक के संक्षिप्त संस्करण को और भी संक्षिप्त करके 52 पृष्ठों की पुस्तिका का लोकमिलाप ट्रस्ट से प्रकाशन किया।

उस पुस्तिका से ली गई एक घटना इस प्रकार है:

फीनिक्स में एक मुद्रणयंत्र था। उसमें करीब डेढ़ मीटर के व्यास का लोहे का एक बड़ा पहिया था। उसे हाथ की ताकत से चलाना पड़ता था। पहिया अलग–अलग लोग बारी–बारी से घुमाते थे। गांधीजी की भी बारी होती थी। एक बार उन्होंने पहिया घुमाने के लिए प्रभुदास को अपने सामने खड़ा किया। वह तो गांधीजी के मुखारविंद को देखता ही रहा। उसे लगा कि गांधीजी से प्रश्न पूछने का और बातें करने का अच्छा अवसर था। तो उसने पहला प्रश्न पूछा, ''बापूजी आपने अखबार में अपने लिए हम क्यों लिखा है? वह तो आपने अकेले ने लिखा है''।

गांधीजी ने उत्तर दिया, ''जब अधिपति लेख लिखते हैं, तब एकवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचन में ही लिखते हैं। क्योंकि वह जो लिख रहा है वह केवल उसका विचार नहीं है, उसमें उसके अन्य साथियों के विचार भी सम्मिलित होते हैं।'' इतना कहकर बापूजी चुपचाप पहिया घुमाने लगे। प्रभुदास ने दूसरा प्रश्न पूछा, 'बापूजी, यह विज्ञापन के बारे में आपने क्या लिखा है? उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया, जिस चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, और उसके उपयोग को गलत मानते हैं, उन्हें हमारा अखबार पढ़ने वाले इस्तेमाल करना चाहें तो वह तो हमारी ही भूल कही जाएगी ना?'

यह बात अक्टूबर 1934 की है। कन्हैयालाल मुंशी की पत्नी लीलावती ने बापू को एक पत्र लिखकर बताया कि, ''मुंशी दिन भर बड़ी चिंता में रहते हैं, आदर्शों के लिए जीना या पैसे कमाने के लिए? इसी दुविधा में हैं। गांधीजी ने अपने जन्मदिन पर उन्हें यह पत्र लिखा था, जिनके कई आदर्श हैं वे कई देवताओं को पूजते हैं। उनका मन कैसे शांत हो सकता है?.....जो एक ही देव का पुजारी है, वह सदा संतुष्ट है। सदा सुखी है। वकालत में दुनियाभर की निंदा होती है। पर उसका आदर्श एक ही रहना चाहिए। उसे एक ही सत्यनारायण का साक्षात्कार करना होता है। सहकर भी वही करना। यदि उसे आदर्श से विमुख होना पड़ता है तो भाड़ में जाए वह वकालत।

वकालत फकीरी, कांग्रेस का सिंहासन, लोगों की निंदा और बहुत कुछ यात्री के सामान जैसा है। स्तुति संभालने वाला निंदा भी संभालता है और मालाबार हिल में विलास करता है। ऐसे में मुंशी को डर क्यों लग रहा है? कहां गई उसकी तीव्र बुद्धि और कहां गया उसका शास्त्रवाचन?

मन चंगा तो घर में गंगा। बाकी काशी की गंगा में नहाने वाले कई धूर्तों को देखा है।

महादेव देसाई ने अपनी डायरी में बताया है कि गांधीजी महात्मा थे लेकिन उनके साथियों के लिए उनके साथ का सफर बड़ा मुश्किल होता था। भटनी स्टेशन पर क्या हुआ था उसे उन्होंने विस्तार से बताया है।

''भटनी स्टेशन पर तो हद हो गई, दर्शन नहीं हो पाया तो लोग चिढ़ गए और बहुत विनती करने के बावजूद गाड़ी की पटरी पर खड़े हो गए। कई लोग कहने लगे कि दर्शन नहीं होंगे, तब तक हम गाड़ी को हिलने नहीं देंगे। नीचे उतर कर मैं उनके पैर पड़ा फिर भी वे हटने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनको न कहने के शब्द कहने लगा। पर वे लोग कहते रहे कि भगवान के दर्शन करने आए हैं उसमें शर्म किस बात की?

ऐसी धांधली (तकरार) में गांधीजी कहां सो पाते। लेकिन वे चुपचाप लेटे रहे। हमने उम्मीद की थी

कि भटनी के बाद थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन वह उम्मीद भी व्यर्थ थी। फिर तो हरेक स्टेशन पर लोगों का हठाग्रह दिखा। एक स्टेशन पर गांधीजी थककर उठे। रात के करीब डेढ़ बजे का समय था। गांधीजी विनती करने लगे, 'मेहरबानी करके आप लोग जाइए। इतना क्यों परेशान कर रहे हो? उनको उत्तर मिलता था जोर से किए गए हर्षनादों से.....

गांधीजी ने फिर से विनती की लेकिन सुने कौन? इस घटना के दौरान गांधीजी की सौम्य मूर्ति में जो विकृति हुई उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं भी त्राहिमाम था। गांधीजी को क्रोधित स्थिति में इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं तो कांप रहा था। अंत में उन्होंने अपना माथा पीटकर कहा, ''आपके पैर पड़ता हूं आप दया करके यहां से हटिए।'' लोगों का व्यवहार उदंडता की हद पार कर गया था। गांधीजी ने इस तरह जब तीन बार माथा पीटा तब जाकर लोग शांत हुए।

मेरी चिढ़ का अंत नहीं था। उस चिढ़ में मैंने गांधीजी के समक्ष असत्य बोलने की धृष्टता की, उसे यहां कबूल कर लेता हूं। बहुत सारे भक्तों को तो पता ही नहीं होता था कि 'महात्माजी कौन हैं। थोड़े लोग डिब्बे में आ गए 'महात्माजी कौन हैं? 'महात्माजी कौन हैं? ऐसा पुकारने लगे। मैंने चिढ़कर कहा 'मैं हूँ' तो संतुष्ट होकर प्रणाम करके नीचे उतर गए! कहां मेरी धृष्टता और कहां उनका निर्मल प्रेम!

एक बार एक बहन ने गांधीजी को पत्र लिखकर बताया कि 'भाई की शराब पीने की बुरी आदत से अकुलाकर मौसी ने उनको तीन–चार थप्पड़ मार दिए। इसका उत्तर देते हुए गांधीजी ने लिखा –

''उन्होंने थप्पड़ मारे वह अच्छा किया। इसमें हिंसा नहीं थी, लेकिन शुद्ध प्रेम था। एक बालिका ने गांधीजी को लिखा – बापू, हमें पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता है? बापू ने उसे लिखा, ''हमें इस जन्म का ही सब कुछ कहां याद रहता है? और याद रहे तो हम पागल हो जाएंगे।''

किसी चीज को याद रखकर उसमें से जो कुछ लेना हो वह ले लें। बाद में उसे भूल जाएं तो क्या हरकत है? उल्टा, लाभ ही है।

गुजराती साहित्य के एक मूर्धन्य कवि हैं – उमाशंकर जोशी। उन्होंने 'तोल्स्तोय और गांधी' के बारे में एक परिचय पुस्तिका लिखी है। उसमें बताया है कि तोल्स्तोय की पुस्तक 'किंग्डम ऑफ गॉड इज़ विदिन यू' यानि ईश्वर का राज्य तुम्हारे हृदय में है, गांधीजी की प्रिय पुस्तक थी। कारण, तोल्स्तोय अपने युग के लिए अहिंसा के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। यह पुस्तक गांधीजी की एक साथी के समान थी। वर्ष 1908 में जब गांधीजी जेल में थे, उस समय की एक मार्मिक घटना का वर्णन उस परिचय पुस्तिका में दिया गया है।

'गांधीजी को गवाही देने के लिए जेल से अदालत में ले जा रहे थे। गांधीजी ने दरोगा से हाथ में एक किताब रखने की इजाजत मांगी। उसे लगा कि गांधी को हथकड़ी से शर्म आ रही है। इसलिए वह उसे किताब के पीछे ढकना चाहता है। उसने हथकड़ी न दिखे उस तरह किताब पकड़ा दी। गांधी को हंसी आई। हथकड़ी तो उनके लिए गौरव की बात थी। संयोग वश वह किताब तोल्सतोय लिखित 'द किंगडम् ऑफ गॉड इज़ विदिन यू' थी। गांधी ने सोचा, कैसा योगानुयोग है।

विजया, जिन्हें हम मनुभाई पंचोली जी की पत्नी विजया पंचोली के नाम से जानते हैं, ने एक बढ़िया

घटना का वर्णन किया है। गांधीजी के साथ उनके सवाल–जवाब की बात है। वे गांधीजी के पास गई थीं और उनसे कहा था कि वे उनके पास आश्रम में रहना चाहती हैं। उन्हीं के शब्दों में यह संवाद है।

बापूजी : मेरे पास क्यों आना है?

मैं : आपके जीवन से यदि कुछ ले सकूं तो लेने दोगे।

बापूजी : कई दो वर्ष रहने का सोचकर आते हैं और दो महीने में चले जाते हैं। और दो महीने रहने के लिए आने वाले दो–पांच दिनों में ही चले जाते हैं। आश्रम का जीवन कठिन होता है।

मैं : उस कठिन जीवन को जीने के लिए ही मुझे आपके पास आना है और आपके पास रहना है। कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा दो साल रहने की इच्छा है।

बापूजी : सूरज के पास रहें तो क्या होता है?

मैं : जल के मर जाते हैं।

बापूजी : तो मेरे पास भी ऐसा ही है। इससे अच्छा है कि दूर रहकर मेरे लेखों में से जो मिले उसी से संतोष मान लो।

मैं : मुझे ऐसा नहीं करना है। आपके पास ही रहना है।

बापूजी : क्या काम करोगी?

मैं : मुझे जो आता है वह सब।

बापूजी : मगनवाड़ी से चलकर डाक ले आओगी?

मैं : हां।

बापूजी : खोटा सिक्का तो नहीं निकलोगी ना?

मैं : देखिए, खोटे को ही आपके पास आने की जरूरत पड़ती है सच्चा बनने के लिए। इसलिए आप कहीं सच्ची मानकर नहीं रखना। खोटी मानकर ही गढ़ना ।

बापूजी : मैने सेवाग्राम आश्रम में बहनों को रखने के लिए मना किया है, लेकिन तुम्हें ना नहीं कह सकता। तुम आओ। आखिर में बा की अनुमति ले लो। बा अगर ना कहे तो नहीं आना है, क्योंकि आश्रम में बहनें बहुत लड़ती हैं और बा के ऊपर उसका काफी बोझ रहता है।

मैं : मैं लड़ूंगी नहीं।

फिर मैं बा से मिली। बा से पूछा कि मुझे वहां आना है। पूज्यनीय बा मुझे जब छावनी में थीं और फिर जेल में थी तब से जानती थीं। इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि अगर तुम आना चाहती हो तो बहुत ही अच्छा।

आखिर विजया बहन आश्रम में आ गई। पूज्यनीय बा और बापू को प्रणाम किया। बापू ने कहा, 'देखो, अब से जब तक तुम यहां रहोगी तब तक मैं तुम्हारी मां हूं', तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी बहन–भाई सबकुछ मैं ही हूं, ऐसा समझना। डरना नहीं।

एक बार विजया को कपड़े के गिलाफ में रूई की जगह अखबारों की दो–तीन तहें करके अंदर डालकर गुदड़ी बनाने का कहा गया। कागज़ की तीन–चार तहों में से सुई निकालना थोड़ा कठिन था तो सुई टूट गई। वे गई बापू के पास और दूसरी सुई मांगी। बापू ने कहा कि सुई तो उसे अपने पिता

से मंगवानी पड़ेगी। हाज़िर जवाब विजया ने तुरंत कहा कि सुई तो पिता से ही मांग रही हूं ना?

बापू ने ही तो उसे कहा था कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारा बाप हूं।

एक बार जगन्नाथपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। उस समय कुछ नेताओं ने पुरी और कोणार्क के मंदिरों की दीवारों पर रतिक्रीड़ा के शिल्पों की ओर गांधीजी का ध्यानकर्षण किया। उन नेताओं का मानना था कि रतिक्रीड़ा के शिल्प अश्लील थे, इसलिए अधिवेशन से पहले उन्हें पलस्टर से ढक देना चाहिये। गांधीजी को भी शायद लगा होगा कि उनकी बात ठीक थी। एक उद्योगपति उन शिल्प को पलस्तर से ढ़कने का खर्च करने के लिए तैयार थे। लेकिन गांधीजी ने इस विषय में नंदबाबू की राय लेना चाहा। नंदबाबू ने तुरंत बताया कि ऐसी हरकत करना गलत होगा। इससे अत्यंत उमदा कलाकृतियां नष्ट हो जाएंगी। ये प्राचीन शिल्प देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत हैं, यह बात गांधीजी समझ गये और पलस्तर का प्रस्ताव नामंजूर हो गया। गांधीजी पहले भी कह चुके थे कि नंदबाबू कलाकार हैं, वह स्वयं नहीं। फिर भी गांधीजी की सौंदर्य–रूचि काफी सहज और सूक्ष्म थी। पहले वह रतिक्रीड़ा के शिल्पों को ढकने के लिए सहमत हो गये थे। उसका कारण आम जनता को गलत प्रभाव से बचाने का रहा होगा। लेकिन बाद में जब नंदबाबू ने कलासौंदर्य की बात की तो उतनी ही सरलता से गांधीजी ने अपना विचार बदल दिया।

अतः गांधीजी के सौंदर्य शास्त्र की अग्रिमता की सूची में मानवहित सबसे ऊपर है। उसके बाद है कृति का सौंदर्य और उसकी उपयोगिता, स्वदेशी और स्वरोजगार।

(लेखिका नेशनल गांधी म्यूजियम की पूर्व निदेशक रही हैं)

❍❍❍❍❍

असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।

– डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:18 AM Page 24

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – में समग्र बाल विकास के लिए पंचकोश का महत्व

– मोनू सिंह गुर्जर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (फाउंडेशनल स्टेज) 2022 बुनियादी स्तर (3–8 वर्ष) के बच्चों के समग्र विकास हेतु 'पंचकोश' की अवधारणा और उसके महत्व को भली–भाँति समझने में मदद करेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 महत्वपूर्ण है और समेकित विकास को अग्रसर करने में सहायक भी।

भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 'पंचकोश की अवधारणा' तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसमें समाहित बौद्धिक परंपरा के गुणों को आत्मसात कर बच्चों के समग्र विकास की महत्ता को समझने एवं भारतीय शिक्षण व्यवस्था में बुनियादी स्तर के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया और परंपरा का समावेश कर बाल विकास की अवधारणा को पंचकोश आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से देखने का प्रयास कर सकेंगें।

प्राचीनता के गौरव की अनुभूति के साथ बाल विकास के लिए उपनिषदों में वर्णित बौद्धिकता के माध्यम से भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 को लागू कर उत्कृष्ट कार्य हेतु बचपन से ही बच्चों का भविष्य संरक्षित कर देश की नींव तैयार कर रहा है, इस पर गौर किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत लेख के माध्यम से अध्ययेता बच्चों के विकासक्रम मे पंचकोश का योगदान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बुनियादी स्तर 2022 के सूक्ष्म अवलोकन से परिचित हो सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार का प्रतीक है। यह नीति भारतीय परंपराओं, संस्कृति और शिक्षा दर्शन के मूल तत्वों पर आधारित है। एनईपी 2020 का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षा प्रणाली को अधिक सुलभ, समावेशी, और व्यवाहारिक बनाना है। इसी क्रम में पंचकोश के सिद्धांत में भारतीय शिक्षाशास्त्र की गहराई से प्रेरित होकर इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है।

पंचकोश भारतीय आध्यात्मिक और शैक्षिक परंपराओं में मानव अस्तित्व को समझने का एक समग्र आदर्श है। यह उपनिषदों में वर्णित पाँच परतों – अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पर आधारित है। इन परतों का उद्देश्य शिक्षा को एक ऐसा साधन बनाना है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (फाउंडेशनल स्टेज) –2022 इस दिशा में एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, जिसमें पंचकोश को शिक्षा के प्रारंभिक चरण में लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

पंचकोश का परिचय और इसके कुछ सिद्धांत

पंचकोश का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, जहाँ मानव को पाँच स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक कोश व्यक्ति के व्यक्तित्व और अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है।

अन्नमय कोश (शारीरिक स्तर)

पंचकोशों में सर्वप्रथम कोश अन्नमय कोश है, जो बालकों के शारीरिक पक्ष पर बल देता है। यह माना गया है कि मानव शरीर अनमोल है, उसकी पहली पहचान शरीर से ही होती है और शरीर की पहली आवश्यकता है 'भोजन'। एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए भोजन की सही मात्रा आवश्यक है। शरीर को भली–भांति कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, जो भोजन से मिलती है। अन्नमय् कोश के अंतर्गत इस विषय पर ध्यान दिया जाता है कि उचित आहार के माध्यम से बच्चे का शारीरिक विकास भी उचित दिशा में होगा। अगर बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तो वे जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे। प्राचीन कहावत है– "जैसा अन्न वैसा मन"। अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बच्चों के अन्नमय् कोश पर ध्यान देने से उनका शारीरिक विकास हो सकेगा और वे खेलकूद में सक्रिय होंगे तथा उनका शरीर भी चुस्त–दुरुस्त होगा। सुपोषित आहार बच्चों में सुपोषित विचार का जन्मदाता बनेगा। स्वस्थ शरीर उन्हें जीवन की चुनौतियों तथा रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। यदि उचित व्यायाम और उचित आहार दिया जाता है तो अन्नमय् कोश अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। अन्नमय् कोश का पंचकोश में प्रथम स्थान है और इसलिए इस कोश का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर का सबसे बाहरी स्तर है जो शारीरिक विकास से संबंधित है जिसमें पोषण, व्यायाम, और शारीरिक गतिविधियों का समावेश होता है। शिक्षा के संदर्भ में यह स्वस्थ शरीर को बनाए रखने पर जोर देता है।

प्राणमय कोश (ऊर्जा स्तर)

प्राणमय कोश जीवन ऊर्जा के विकास से संबंधित है। इसके अंतर्गत जीवन की प्रमुख प्रणालियां जैसे पाचन, श्वसन और तंत्रिका तंत्र का सुचारू कामकाज आता है। प्राणमय कोश में पांच प्रकार के प्राण हैं। इसकी सही प्रणाली का ना होना अन्नमय कोश को प्रभावित करती है। श्वास के आवागमन के द्वारा यह शरीर के लिए आवश्यक पांच प्रमुख प्रकार की गतिविधियों को नियमित एवं संयमित करती हैं। ये गतिविधियां शरीर का सहयोग करती हैं व सांस द्वारा ली गई हवा के परिणाम स्वरुप होती है। इसलिए इसे प्राणमय कोश का नाम दिया गया है। मनुष्य का जीवन के प्रति उत्साह, श्रेष्ठता, कार्य समायोजन, परिस्थितियों का नेतृत्व करने की क्षमता, बोलने की आवृत्ति का तरीका आदि प्राणमय कोश के सही प्रकार कार्य करने के संकेत हैं। इस कोश में निम्नलिखित पांच प्राण सम्मिलित हैं:

1. प्राण (प्रत्यक्षीकरण की क्षमता): यह पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण से प्राप्त पांच प्रकार के उद्दीपनों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है।
2. अपान (उत्सर्जन की क्षमता): शरीर द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली सभी चीजें जैसे पसीना, मल, मूत्र आदि अपान की अभिव्यक्ति हैं।

3 समान (पाचन की क्षमता): यह अमाशय में एकत्रित भोजन का पाचन करता है, जिससे सभी आवश्यक अंगों को कार्य करने हेतु शक्ति मिलती है।

4 व्यान (संचरण क्षमता): यह पचे हुए भोजन के परिणामस्वरुप बने पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाता है।

5 उदान (चिंतन क्षमता): यह वर्तमान स्तर से अपने विचारों को उन्नत करने की क्षमता है, जिससे कि नए सिद्धांत या विचार, स्वशिक्षा की क्षमता की संभावना या सराहने की क्षमता विकसित होती है। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश को नियंत्रित एवं नियमित करता है। जब प्राण ठीक से काम नहीं करते तो भौतिक शरीर प्रभावित होता है। प्राणमय कोश के स्वस्थ विकास के संकेत से उत्साह, आवाज़ को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की क्षमता, शरीर को लोच, दृढ़ता, नेतृत्व, अनुशासन, ईमानदारी और श्रेष्ठता जैसे गुण मिलते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है प्राणमय कोश ऊर्जा का सूचक है। शारीरिक रूप से विकसित बच्चों की ऊर्जा को न केवल समझना अपितु उसे उचित दिशा प्रदान करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। उचित दिशा में लगाई गई ऊर्जा सृजन का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद दिशा में प्रयुक्त ऊर्जा विध्वंस का कार्य करती है। अतः बच्चों की ऊर्जा को उचित दिशा देना आवश्यक है ताकि बच्चा सृजनात्मकता के मार्ग पर विकसित हो पाए और यह तभी संभव है, जब बच्चे शारीरिक रूप से हृष्ट–पुष्ट होंगे तथा अपने तंत्रिका तंत्र का सुचारू रूप से प्रयोग कर पायेंगे। मनुष्य का प्राण उसके शरीर व मन को प्रभावित करता है तथा सही प्राण खुशी मन का आधार होता है। प्राण उसकी शारीरिक गतिविधियों को संतुलित तथा संचालित करते हैं। जीवन ऊर्जा के संतुलन से व्यवस्थित बच्चे में सम्यक व्यक्तित्व का निर्माण होगा। यह शरीर की जीवन ऊर्जा और जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें श्वसन, रक्त संचार, और ऊर्जा के प्रवाह का महत्व है। योग और ध्यान इस कोश को सशक्त बनाने के प्रमुख साधन हैं।

मनोमय कोश (मानसिक स्तर)

मन प्राणमय कोश को नियंत्रित करता है। मनुष्य का मन उसे किसी भी दुनिया, वस्तु, कल्पना आदि में पहुंचाने की क्षमता रखता है। यदि मन संयमित तथा शुद्ध विचारों द्वारा पोषित ना हो, तो यह मनुष्य को दुर्गति के मार्ग में प्रेषित करने तक का सामर्थ्य रखता है। मनुष्य का किसी व्यक्ति, विचार या वस्तु इत्यादि से लगाव अथवा अलगाव उसके मन पर निर्भर करता है, उसकी भावनाओं पर निर्भर करता है। मन यदि अशांत होता है तो मानव नकारात्मकता को आकर्षित करता है। मनुष्य के जीवन के स्थिरता के लिए आवश्यक घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक भावनाओं का संतुलन में होना भी है। मनुष्य अपनी भावनाओं के द्वारा संचालित होता है, और सामाजिक व्यवहार के लिए प्रेरित होता है। ये भावनाएं सुख–दुख, हर्ष, उल्लास, क्षोभ, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, करुणा आदि के रूप में बच्चों के अंदर उपस्थित होती हैं। कई बार बच्चा भावनाओं के आवेग में आकर अपना अहित कर लेता है। ऐसे में भावनाओं को समझना और उनका उचित प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए बच्चों के सम्यक विकास

में बच्चों की भावनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मनोमय कोश के द्वारा बच्चों की भावनाओं का विकास सही दिशा में हो पाता है, जिससे बच्चे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ध्यान पूर्वक किसी कार्य को करने के लिए मनोमय कोश का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। मनोमय कोश संतुलित होने से बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाएंगे। यह मानसिक प्रक्रिया, भावनाओं और विचारों का प्रतीक है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता दी जाती है।

विज्ञानमय कोश (बौद्धिक स्तर)

विज्ञानमय कोश वैज्ञानिक तार्किकता का सूचक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में विस्तृत ज्ञान हीं विज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य अवलोकन, प्रयोग, मूर्त–अमूर्त विचारों का ध्यान, तार्किक परीक्षण इत्यादि वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दीप्तिमान करना है। विचारों की गहन समझ, अन्वेषण और विश्लेषण करने के पश्चात किसी निर्णय पर पहुंचने का अभ्यास; किसी भी समस्या को देखने और उसके समाधान करने का नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। विज्ञानमय कोश में बच्चों की तार्किक, सृजनात्मक, समस्या समाधान और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। इस पक्ष को ऐसे देख सकते हैं, कि जब बच्चा शारीरिक और भावात्मक रूप से मजबूत होता है, तो उसका तार्किक चिंतन भी सही दिशा में होता है। यदि बच्चे का विज्ञानमय कोश सही दिशा में विकसित नहीं हुआ तो बच्चा जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में असफल हो जाता है। परिणामस्वरूप बालक जीवन भर असंतुष्ट ही रहता है। अतः शिक्षा के द्वारा बालक के विज्ञानमय कोश को विकसित किया जाना चाहिए। इससे बालक विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे तथा उनकी विषय को समझने की समझ, गहन अर्थात वैज्ञानिक होगी और वे विषय को सत्यता एवं परीक्षण की कसौटी पर परखेंगे। यह ज्ञान, तर्क और विवेक का स्तर है। यह छात्रों के आलोचनात्मक सोच और समस्या–समाधान की क्षमता को विकसित करता है।

आनंदमय कोश (आध्यात्मिक स्तर)

पंच कोश में सबसे आंतरिक आनंदमय कोश है जो विज्ञानमय कोश को नियंत्रित करता है। इसमें मनुष्य बाहरी प्रदर्शन पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ उसके अचेतन मन का भी अध्ययन करता है। उसका वह रूप जो सिर्फ उसे पता है। वह पूर्णतया उससे परिचित भी नहीं होता किंतु अचेतन मन ही उसकी वास्तविक व्यक्तित्व की स्थिति निर्मित करता है। आनंदमय कोश में पहुंचने वाला व्यक्ति असीम आनंद की प्राप्ति करता है। सभी कोशों के भली प्रकार संचालित व विकसित होने के बाद हमें सद्भावना तथा प्रेम की प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इस कोश में पहुंचकर अपना अधिकार स्थापित कर पाना; मनुष्य की पूर्ण चेतना को प्रदर्शित करता है। चेतना की भावना महसूस कर पाना, अपना साक्षात्कार स्वयं से कर पाना ही आनंदमय कोश के विकसित होने का संकेत है।

मनुष्य का संतुष्ट रहना, स्वयं की प्रसन्नता को बाहर ना खोज कर भीतर खोजना ही आनंदमय कोश

को विकसित कर सकता है। अपने रंग, रूप, आकार से परे जाकर आत्मा की सत्यता तथा पवित्रता का अनुभव करना, हमारे आनंद की कुंजी है। यहां हम निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई वाहन चालक वाहन चला रहा है और वह वाहन के ब्रेक, क्लच, रेस और स्टेरिंग में तारतम्यता या सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होता है, तो सचमुच वह अपने गंतव्य तक आनंदपूर्वक पहुंचने में सफल होगा और अपनी यात्रा का भी आनंद ले सकेगा। ठीक इसी प्रकार यदि बच्चों के सभी कोशों का विकास संतुलित होता है, तो बच्चा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आनंद की अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम हो पता है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि बच्चों को शारीरिक संरचना, ऊर्जा की सही दिशा, भावनाओं का उचित संतुलन तथा समस्त कोशों का उचित ज्ञान प्रदान किया जाय ताकि वे आनंद की स्थिति में रह पाएं तथा जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकें। संतुष्ट जीवन बच्चे को हर प्रकार की कुसंगति से दूर रखता है। अतः यह कहा जा सकता है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का फाऊंडेशनल स्टेज पर एक ही मूल उद्देश्य है और वह है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों के पांचों कोशों का संतुलित अवस्था में विकास किया जाना चाहिए। तभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। अर्थात बच्चे अपने आनंद की अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।

इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में दिए गए पंचकोशों से बच्चों के सर्वांगीण विकास के सपनों को साकार कर पाना संभव होगा। यह समझना होगा कि जिस प्रकार से टूटे हुए मन से कोई कार्य सफल नहीं हो सकता ठीक उसी तरह से बच्चों के पांचों कोशों के संतुलित विकास के बिना बच्चा सुखद अनुभव की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतः शिक्षा ही इस कार्य को बखूबी पूरा करने में सफल हो सकती है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के स्वरूप को समझना अति आवश्यक हो जाता है।

यह आत्मा और आनंद की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों में आत्म–जागरूकता और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पंचकोश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में पंचकोश का उल्लेख बच्चों के समग्र और बहुआयामी विकास के संदर्भ में किया गया है। यह नीति शिक्षा को केवल पाठ्यचर्या और अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि जीवन कौशल, नैतिकता, और आत्म–जागरूकता को भी प्राथमिकता देती है।

अन्नमय और प्राणमय कोश

एनईपी 2020 बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है। योग, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। नीति का उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

मनोमय और आनंदमय कोश

भारतीय संस्कृति, परंपरा, और मूल्यों को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। यह बच्चों को सामाजिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति और नैतिकता सिखाने में मदद करता है।

विज्ञानमय कोश

आलोचनात्मक सोच, तर्क और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षण विधियों को लागू किया गया है। विद्यार्थियों को केवल तथ्यों तक सीमित रखने के बजाय ज्ञान को गहराई से समझने और लागू करने की शिक्षा दी जाती है।

आनंदमय कोश

नीति में नैतिक शिक्षा, ध्यान और आत्म–जागरूकता पर जोर दिया गया है। यह छात्रों को एक सुखी और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (फाउंडेशनल स्टेज)–2022 और पंचकोश

एनसीएफ–2022 का फोकस 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास पर है। यह बच्चों के शुरुआती वर्षों में पंचकोश के सिद्धांतों को लागू करने का मार्गदर्शन करता है।

खेल और गतिविधि–आधारित शिक्षा (अन्नमय और प्राणमय कोश)

खेल, शारीरिक गतिविधियाँ और रचनात्मक कला बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं। एनसीएफ में शारीरिक गतिविधियों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है।

भाषा और भावनात्मक विकास (मनोमय कोश)

कहानियों, संवाद और नाटक के माध्यम से बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक कौशल का विकास किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।

ज्ञान और जिज्ञासा को प्रोत्साहन (विज्ञानमय कोश)

बच्चों में जिज्ञासा और तर्कशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पूछने और प्रयोग करने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया है। एनसीएफ का उद्देश्य बच्चों को "सीखने का आनंद" प्रदान करना है।

नैतिकता और आध्यात्मिकता (आनंदमय कोश)

बच्चों को कहानियों, लोक कथाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों से जोड़ा जाता है। ध्यान और योग जैसी गतिविधियाँ बच्चों को आत्म–जागरूकता और संतुलन सिखाती हैं।

पंचकोश आधारित शिक्षा के आधार पर बच्चों के विकास में शिक्षकों की भूमिका

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2022 के अनुसार बच्चों की विद्यालयी शिक्षा के शुरूआती पाँच वर्ष पंचकोश विकास पर आधारित होंगे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूर्व प्राथमिक शिक्षक की होगी। चूंकि बच्चों के सीखने के शुरूआती पाँच वर्ष उसके बुनियादी वर्ष होतें हैं और इसलिए बालकों के सीखने की प्रक्रिया में मुख्य केन्द्र बिंदु शिक्षक हीं होते हैं। इस प्रकार बालक के समग्र विकास में शिक्षक की अहम् भूमिका रेखांकित होती है। बच्चों के पंचकोश विकास में शिक्षक निम्नलिखित प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है:

शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु

अन्नमय कोश बच्चों के शारीरिक विकास से सम्बंधित है जिसका मुख्य सम्बन्ध भोजन से है। इसलिए शिक्षक को बच्चों के दैनिक आहार में संतुलन से संबंधित विषय में शिक्षा देनी चाहिए। ताकि उन्हें भरपूर पोषक तत्वों की जानकारी मिले और वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। जब बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तब उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा। इसलिए शिक्षक को अन्नमय कोश का ज्ञान होना चाहिए।

प्राणमय कोश बच्चों की श्वसन और पाचन तंत्र की प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसके विकास के लिए शिक्षक को चाहिए कि समय–समय पर वे बच्चों से योग संबंधित क्रियाएँ कक्षा में अभ्यास कराएं। इससे बच्चे अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। अन्ततः शिक्षक को चाहिए कि वे यदि सम्भव हो तो इस प्रकार की क्रियाएं विषय को पढ़ाते समय कक्षा में हीं संपन्न कराएं। पंचकोश आधारित शिक्षा से बच्चों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, और आत्म–देखभाल की आदतें विकसित होती हैं।

मानसिक और भावनात्मक स्थिरता हेतु

मनोमय कोश का सम्बन्ध बच्चों की भावनाओं से है। बच्चों के लिए यह सीखना बहुत ही जरूरी है कि किन परिस्थितियों में उन्हें अपने भावों को प्रकट करना चाहिए। एक प्रारम्भिक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है, कि वह बच्चों के भावनात्मक विकास की ओर ध्यान दे, उन्हें कक्षा में कहानी और कविताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भावनाओं के बारे में बताएं और सिखाएं कि कहाँ पर किस प्रकार के और कैसे भावों को अभिव्यक्त करना चाहिए। ताकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाएं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होता है। बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की शिक्षा दी जाती है। यह तनाव, भय और असुरक्षा को कम करता है।

ज्ञान और तर्क क्षमता में वृद्धि हेतु

विज्ञानमय कोश का सम्बन्ध बच्चों के बौद्धिक विकास से है, जिसके अंतर्गत बच्चों में तर्क करना, कल्पना करना, भाषाई कौशलों का विकास करना, रचनात्मकता आदि को विकसित करना आदि गुण आते हैं। शिक्षकों को कक्षा में इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए जिससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास हो, जिससे वे समस्याओं के समाधानकर्ता बनें। कक्षा में विभिन्न प्रकार के भाषाई खेल, सृजनात्मक गतिविधियाँ, पहेली गतिविधि आदि के माध्यम से शिक्षक बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ताकि बच्चे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में बौद्धिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। इससे बच्चों की सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है और नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।

आध्यात्मिक संतुलन और आनंदमयी शिक्षा

पंचकोश आधारित शिक्षा बच्चों को जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। संतुष्ट तथा प्रसन्न मन ही आनंदमय कोश का सबसे प्रमुख घटक है। बच्चे वे सभी कार्य करके आनंदित होते हैं जिसे वे मन लगा कर अपनी रूचि के अनुरूप करते हैं। इसलिए शिक्षक को कक्षा में बच्चों की

रूचि के अनुसार ही कहानियाँ सुनानी चाहिए तथा इस प्रकार के खेल व गतिविधियों में बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बच्चे सीखने में आनंद लें व उनका मन प्रसन्न हो। जब बच्चा आनंद की प्राप्ति कर पायेगा तभी उसका मन संतुष्ट रह पायेगा और एक संतुष्ट जीवन उसे हर प्रकार की कुसंगति से दूर रखेगा। बच्चों में उपरोक्त सभी कोशों को विकसित कर हीं शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चे जीवन के हर स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन का आनंद उठा पायेंगे।

बच्चों में पंचकोश के विकास की चुनौतियाँ

निःसंदेह प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के समग्र विकास में पंचकोश की अवधारणा का विकसित होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भी इस विचार पर काफी जोर डाला गया है। परन्तु पंचकोश की अवधारणा को बच्चों में विकसित करने के लिए शिक्षकों के समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं:

यदि शिक्षक स्वयं पंचकोश की अवधारणा से प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वे बच्चों में पंचकोश की अवधारणाओं को विकसित करने में सफल नहीं हो पायेंगे। अतः शिक्षकों का स्वयं का प्रशिक्षित होना भी एक चुनौती है।

पंचकोश के विकास से संबंधित गतिविधियों का चुनाव करना भी शिक्षकों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस अवधारणा को विषयवस्तु के साथ जोड़कर बच्चों तक किस प्रकार पहुँचाया जाए जिससे कि बच्चों के समग्र विकास में यह सहायक हो सके, इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।

पंचकोश के विकास में शिक्षकों के समक्ष प्रशिक्षण से सम्बंधित सामग्री की उपलबधता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आवश्यक है कि इस समस्या के निराकरण के लिए समुचित पहल की जाए।

पंचकोश के विकास से संबंधित गतिविधियों का चुनाव करने के साथ–साथ उन गतिविधियों को कक्षा में सुचारू रूप से संचालित करना भी शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

यदि शिक्षकों में दार्शनिक सी मानसिकता नहीं है तो, पंचकोश की अवधारणा को समझना और समझकर उसे अपनी कक्षा में ज्यों का त्यों संचालित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अतः शिक्षकों की मानसिकता में तदनरूप परिवर्तन भी आवश्यक है।

सिद्धांत व व्यावहार के बीच समन्वय स्थापित करना फिर इन गतिविधियों को बच्चों के स्तर पर लाकर उन्हें संचालित करना भी शिक्षकों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चों के सभी कोशों को गहराई से समझ कर गंभीरता पूर्वक कक्षा में संचालित करना शिक्षक के लिए एक व्यावहारिक चुनौती है।

समाधान एवं सुझाव

पंचकोश की अवधारणा को समझने के लिए शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसके लिए भारतीय दर्शन को भी समझना होगा ताकि वे स्वयं में कोश की समझ विकसित कर सकें। शिक्षकों को पंचकोश के सिद्धातों को समझ कर उन्हें व्यावहारिक रूप देना चाहिए और विद्यालयों में योग, ध्यान और सांस्कृतिक गतिविधियों का समुचित समावेश करना चाहिए।

बच्चों के व्यक्तिगत विकास पर फोकस करने वाली नीतियों को समझ कर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक और व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कराना चाहिए। ताकि इसके आधार पर हम शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को साकार करने में और विकसित भारत के निर्माण हेतु मजबूत नींव तैयार करने में सक्षम हो सकें।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (फाउंडेशनल स्टेज) – 2022 पंचकोश आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाने के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान करते हैं। यह न केवल छात्रों को शारीरिक, मानसिक, और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाता है, बल्कि उन्हें एक नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों को भारतीय परंपराओं, मूल्यों और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है। सम्यक तरीके से लागू करने पर पंचकोश आधारित शिक्षा जीवन के हर पहलू को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, फॉउण्डेशनल स्तर–2022, पृष्ठ संख्या 19।
- योग : जीवन का एक ढंग, मोड्यूल VII एन. आई. ओ. एस., पृष्ठ संख्या 161।
- योग : जीवन का एक ढंग, मोड्यूल VII एन. आई.ओ.एस., पृष्ठ संख्या 162।
- हिंदी की डिस्कवरी, राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 2।
- इंटरनेशनल रिसर्चरस जरनल ऑफ कॉमर्स, आर्ट एण्ड साईंस, वॉल्यूम 14, अंक 3, 'पंचकोश एवं समग्र बाल विकास' पृष्ट सं. 14, 15, 16, 17।
- पंचकोश एवं समग्र बाल विकासः इंटरनेशनल रिसर्च जनरल ऑफ़ कॉमर्स, आर्ट एंड साइंस वॉल्यूम– 14, अंक–3–पेज 14,15 और 17।

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 33

भारतीय संस्कृति का सामाजिक समरसता में समन्वयकारी रूप

– अनिल कुमार

जब मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग विचार और कर्म के क्षेत्र में गंभीरतापूर्वक करता है तो उससे उत्पन्न सृजनात्मक दृष्टिकोण एवं व्यवहार संस्कृति कहलाती है। चिंतन एवं मनन द्वारा जीवन को सुखमय, सरस, कल्याणकारी एवं सुंदर बनाने का प्रयोग संस्कृति की निजी विशेषता होती है। संस्कृति संस्कारगत है जो परिष्कार, संशोधन एवं परिवर्द्धन में दिन रात कार्य करती हैं। संस्कृति और संशोधन को पर्याय समझना चाहिए। जो संस्कृति संशोधनात्मक दृष्टिकोण छोड़ देती है उसका विनाश अवश्यंभावी है। इसीलिए विश्व की अनेक संस्कृतियां मिट गईं या दूसरी संस्कृति में खो गईं। परंतु भारतीय संस्कृति न मिटी और न विलीन हुई। यह एक ऐसी संस्कृति निकली जिसका उदर और पाचन क्रिया इतनी बड़ी, इतनी उत्तम रही कि जो–जो संस्कृतियाँ आईं इसमें विलीन हो गईं और यह ज्यों–की–त्यों बनी रही। इसका मूल कारण संस्कृति का सामाजिक समरसता एवं समन्वयकारी रूप है।

आश्चर्य है कि बौद्ध संस्कृति एवं धर्म ने भारत में जन्म लेकर चीन, जापान, म्यांमार आदि की संस्कृतियों को समाप्त करके उनका स्थान ले लिया। अरब की संस्कृति, मिस्र एवं ईरान की संस्कृति को समाप्त करके स्वयं सतारूढ़ हो गयी। इजराइल का ईसा यूरोपीय संस्कृति का मूल बन बैठा। परन्तु भारत में ये तीनों ही संस्कृतियाँ आईं और इनके पूर्व भी अनेकों संस्कृतियाँ आईं पर इनमें से कोई भी भारतीय संस्कृति को झकझोरने में समर्थ नहीं हो सकी। यह भी आश्चर्य की ही बात है कि भारत कई बार पराजित हुआ, पराधीन हुआ, परन्तु भारतीय संस्कृति सदा विजयी रही। इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति गुण ग्राहक एवं समन्वयकारिणी रही है। उसने दूसरी संस्कृतियों के किंचित् आकर्षक गुणों को अपनाने में हिचक नहीं की, इसके बदले उन संस्कृतियों को भारी मूल्य चुकाना पड़ा। किसी ने अपना अस्तित्व खो दिया, किसी ने हमारी संस्कृति की भावानात्मक एवं मानसिक दासता स्वीकार कर ली। द्रविड़ संस्कृति इसमें विलीन हो गई। शक, हूण आदि संस्कृति अपना अस्तित्व ही खो बैठे। यूनानी संस्कृति को आदान–प्रदान करके संतुष्ट होना पड़ा और भावात्मक एवं मानसिक दृष्टिकोण से हमारी संस्कृति की दासता स्वीकार करनी पड़ी। बौद्ध एवं जैन संस्कृतियाँ किंचित् प्रभाव डाल कर भारतीय संस्कृति में घुल–मिल सी गई। मुस्लिम एवं ईसाई संस्कृतियों को भी सफलता नहीं प्राप्त हो पाईं। इस प्रकार हमारी संस्कृति अपने समन्वयकारी स्वरूप के कारण सदा अजेय रही और रहेगी। भारतीय संस्कृति अमर है और इसीलिए कि समय ने भी उसे नहीं झकझोरा। समय के रूख को पहचान कर इसने समय–असमय सन्तुष्ट कर दिया। हमारी संस्कृति बड़ी अविचल खड़ी है। इस विशाल वट–वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी आध्यात्मिकता एवं दृढ़ सिद्धान्तों पर हैं कि इसे गिरने का भय नहीं है।

भारतीय संस्कृति की पावन शक्ति बड़ी प्रबल है। इसके अतिरिक्त इसे दूसरी संस्कृतियों के अच्छे

गुणों को अपनाने में हिचक भी नहीं है। इस संस्कृति का पहला संघर्ष द्रविड़ संस्कृति से हुआ जिसका प्रारंम्भ सम्भवतः बिन्दुसार के समय में हुआ होगा। इसके पूर्व भी आर्य, द्रविड़ संघर्ष में संस्कृतियों की टक्कर अवश्य हुई होगी। द्रविड़ संस्कृति के ऊपर इस संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। द्रविड़ संस्कृति ने भी आर्य संस्कृति को प्रभावित किया।

प्राचीन वैदिक धर्म में सुधार के लिए गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म के महावीर आदि ने धार्मिक सुधार आन्दोलन चलाया। दोनों ही धर्मों ने वैदिक संस्कृति को भी प्रभावित किया। परन्तु बौद्ध धर्म विदेशों में अधिक पनपा और आज वह विश्व का सबसे अधिक माने जाने वाले धर्मों में एक है, परन्तु भारत में वह नहीं पनपा। कालान्तर में इन धर्मों का प्रभाव हमारी संस्कृति पर भी पड़ा। प्राकृतिक शक्तियों जैसे इन्द्र, अग्नि, वरूण आदि की पूजा कम हुई और सर्वज्ञ, शक्तिशाली, सर्व–गुण सम्पन्न व्यक्त्वि के रूप में ईश्वर–तुल्य राम, कृष्ण आदि की पूजा होने लगी। गौतम बुद्ध भी आर्यों के लिए अवतार बन गये। बोधि वृक्ष हिन्दुओं के लिए भी पवित्र वृक्ष बन गया। मूर्ति पूजा विरोधी बौद्ध धर्म में कालान्तर में बुद्ध की मूर्ति की पूजा भी होने लगी।

इसी प्रकार शक, हूण, कुषाण आदि जातियों को भी हिन्दू संस्कृति ने अपने में समेट लिया। उनके कतिपय धार्मिक अनुष्ठानों को भी हिन्दुओं ने मान लिया। आर्य जाति विभिन्न प्रकार के धार्मिक आन्दोलनों में सदा समन्वयकारी रूप को ही अपनाती रही। इसलिए मतभेद कभी प्रभावकारी नहीं हो पाया। विरोध के बावजूद एकता स्थापित होती रही। यही कारण है कि विश्व के सबसे कट्टर धर्म इस्लाम और उसकी संस्कृति से भी हमारी संस्कृति ने समझौता करने की चेष्टा की। हिन्दू देवताओं की मूर्ति एवं मन्दिर तोड़े गये, परन्तु भारतीय संस्कृति ने कभी दिल नहीं तोड़ा। इसी कारण पहले ''अल्लपोनिषद'' स्थापित किया गया। कालान्तर में ''दीन–ए–इलाही'' की भी स्थापना हुई। यह सब समन्वय के बढ़ते कदम थे, जो दोनों संस्कृतियों के बीच आदान–प्रदान चाह रहे थे। इस प्रकार हमारी संस्कृति ने इस्लामी संस्कृति से समन्वय स्थापित करके विश्व में अनूठा उदाहरण पेश किया था।

भारतीय संस्कृति का अंतिम मुकाबला पश्चिम की सर्वाधिक प्रभावशाली संस्कृति अंग्रेजी संस्कृति से हुआ। अंग्रेज शक्तिशाली भारतीय संस्कृति की प्रबल पावन शक्ति को जानते थे। उन्हें भय था कि कहीं हम भी इसी महान समुद्र में विलीन न हो जाएँ। इसलिए वे प्रारम्भ से ही इस क्षेत्र में सचेष्ट रहे। उन्होंने मुस्लिम संस्कृति के हठवाद और तलवार के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया। वे जानते थे कि भारत के लोग पराजित हुए हैं, यहाँ की संस्कृति नहीं हुई, इसलिए वे संस्कृति को पदाक्रान्त करने के लिए प्रयासशील होने लगे। जैसे, जैसे उन्होंने विद्वेश, फूट एवं लालच दे देकर इसे तहस–नहस करना चाहा, वैसे–वैसे हमारी संस्कृति अपना रंग दिखाने लगी। इसने अंग्रेजी संस्कृति के उत्तम गुणों को ग्रहण किया, जैसे राष्ट्रीयता, समय की पाबन्दी, सफाई, स्वतंत्रता की भावना आदि। अंग्रेजों को भी इसने प्रभावित किया। कान्ट जार्न्स के अनुसार ''आर्यावर्त मात्र हिन्दू धर्म का ही घर नहीं है, वरन् यह सभ्यता और संस्कृति आदि का भंडार है1''। डेलमार ने कहा कि – ''पश्चिमी संसार को जिन बातों पर गर्व है, वे असल में भारत से ही वहाँ गई हैं।'' इसी प्रकार के विचार मैक्समूलर, टेलर, वेलेन्टाइन, वेबर, कोलबुक आदि ने भी प्रकट किये हैं। पश्चिमी संस्कृति से हमारे यहाँ जाति–पाति के बंधन ढ़ीले

हुए, भारत में पुनर्जागरण का भाव आया इसमें दो राय नहीं। परन्तु वे भी हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। यह हमारी संस्कृति में अंतर्निहित अदम्य उत्साह एवं विचित्र सामाजिक समरसता की समन्वयकारी प्रवृत्ति को उजागर करती है। हमें अपनी महान संस्कृति के महान समन्वयकारी प्रवृत्ति पर गर्व है। इसी प्रवृत्ति के अभाव के कारण पुरानी अधिकांशतः संस्कृतियाँ या तो मिट गई या पदाक्रान्त हो गईं। परन्तु हमारी संस्कृति अभी भी अजेय है और सदा अजेय रहेगी।

भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ

भारतीय संस्कृति की मीमांसा दो दृष्टियों से की जा सकती है, आधुनिक तथा शास्त्रीय। परन्तु हम चाहे जो भी दृष्टिकोण अपनाएँ, इतना स्वीकार करना होगा कि भारतीय संस्कृति विश्व इतिहास का एक चिरन्तन सत्य है। सिन्धुघाटी की सभ्यता विश्व संस्कृति का एक गौरवशाली अध्याय है। वेदों की रचना एक प्रागैतिहासिक घटना है। यह उस दौर की बात है जब संसार की अनेकों भाषाओं का कोई भी स्वरूप निखर नहीं पाया था। इसी प्रकार उपनिषदों, महाकाव्यों यथा महाभारत, रामायण आदि के अध्ययन से यह स्पष्ट झलकता है कि भारतीय संस्कृति सुदूर अतीत में भी सुव्यवस्थित तथा विकसित थी। भारत में ही नहीं वरन् विश्व के अन्य देशों पर भारतीय संस्कृति की छाप पड़ी थी जिसके उदाहरण आज भी विद्यमान हैं। भगवान मनु ने बहुत पहले ही उद्घोष किया था।

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः।।

आधुनिक दृष्टि से विचार करने पर हम भारतीय संस्कृति को सक्षम एवं सम्पुष्ट पाते हैं, क्योंकि विगत कई शताब्दियों से विदेशी आक्रमणों, व्यापार तथा अन्य प्रयोजनों से आकर भारत में बसने वालों के कारण यहां एक मिली–जुली नयी संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान भारतीय संस्कृति "एक सामाजिक संस्कृति" के रूप में हमारे सम्मुख है। आर्य, द्रविड़, हूण, कुषाण, मंगोल, मुसलमान, अंग्रेज, पुर्तगाली आदि जिस किसी भी जाति के लोग भारत में बसे हैं, आज उनका अपना मौलिक स्वरूप नष्ट हो गया है। जातिगत रक्त की शुद्धता अब प्रायः दुर्लभ सी ही है और इन सभी संस्कृतियों पर एक संस्कृति, जिसे भारतीय संस्कृति की संज्ञा दे सकते हैं, प्रभावी हो गई है।

कविगुरू रविन्द्र ने लिखा है – "भारत देश महामानवता का परिवार है। किसी को भी ज्ञात नहीं कि किसके आह्वान पर मनुष्यता की कितनी धाराएँ प्रचंड वेग से बहती हुई कहाँ–कहाँ से आईं और इस महासमुद्र में मिलकर खो गई। यहाँ आर्य हैं, यहाँ अनार्य हैं। यहाँ द्रविड़ तथा चीनी वंश के भी लोग हैं। शक, हूण, पठान, मुगल न जाने कितनी जातियों के लोग इस देश में आए और सबके सब एक ही शरीर में समाकर एक हो गए। समय–समय पर जो लोग रक्त की धारा बहाते हुए एवं उन्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तान को पार कर एवं पर्वतों को लाँघकर इस देश में आए थे, उनमें से किसी का भी अब अस्तित्व नहीं है। वे सबके सब मेरे भीतर विराजमान हैं। मुझसे कोई भी दूर नहीं है। मेरे रक्त में सब का स्वर ध्वनित हो रहा है।"

किसी भी देश की संस्कृति की चिरन्तनता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें आदान–प्रदान

की अथवा ग्रहण करने तथा पचाने की कितनी क्षमता है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार – "जो जाति केवल देना ही जानती है लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है।" भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि जितनी भी संस्कृतियों का यहाँ आगमन हुआ सबको उसने अपने में इस प्रकार पचा लिया कि उनका कोई पृथक समन्वयकारी स्वरूप नहीं रहा गया। अतः दक्षिण से उत्तर तथा पूर्व से पश्चिम सम्पूर्ण भारत को हम एक संस्कृति–सूत्र में बँधा हुआ पाते हैं। भारत में अनेकताओं की विपुलता है, किन्तु सबको एकता के ऐसे धागे से पिरो दिया गया है कि उनकी विषमता का स्वरूप ही धूमिल हो गया है।

समस्त प्राणियों के प्रति समान भाव

भारतीय दर्शन की यह मान्यता है कि प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। जिस प्रकार एक ही सूर्य की अगणित किरणें कोटि–कोटि अस्तित्वों को एक साथ प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार जगन्नियंता परमेश्वर अपने अगणित अंशों में समस्त जीवों में व्याप्त होता है। ईश्वर अस जीव अविनासी। यही मान्यता समस्त प्राणियों को समान रूप से देखने का आधार है –

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।

प्राणियों के प्रति समान भाव के माध्यम से ही हम अहिंसा तथा करूणा तक पहुँचते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है –

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव स्वापाके च, पण्डिताः समदर्शिनः।।

इसी समदृष्टि के कारण ही समष्टिवादी भाव का उदय होता है जिसका अनुशीलन इस सीमा तक हुआ कि अपनी आवश्यकता से अधिक धन–संचय अधर्म माना गया। धन पराव बिस तें बिस भारी। इसके अतिरिक्त भी कहा गया –

ईशावास्यमिद् सर्वं यत्किन्वित् जगत्यां जगत्।
तेन त्यकेन भुन्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।

पुनर्जन्म

आर्य समदृष्टि की दूसरी मान्यता पूर्वजन्म में विश्वास है। कोई भी जीव पूर्वजन्म में किए हुए कर्मों का भोग करता है। कर्म ही प्रधान है, जिसके फलस्वरूप जीव विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है। अतः मनुष्य जो कि समस्त प्राणियों में तर्कशील है, भगवद् भीरू होकर काम करने लगा जिसमें अवांछनीय कर्मों के लिए स्थान ही नहीं रहा। पुनर्जन्म में विश्वास ने ही आर्य जाति को विपदाओं में भी धैर्य और आशा का आंचल न छोड़ने का साहस दिया। आशावाद के साथ ही क्षमाशीलता भी आर्यों में इसी मान्यता की देन है।

अतिथि सत्कार

आर्य संस्कृति में अतिथि को महान स्थान प्राप्त रहा है। 'अतिथि देवो भव'। अतिथि को देवता मानकर उसकी पूजा करने की प्रथा यहाँ रही है। अतिथि का अनादर घोर पाप माना जाता है। एक कथा आती है कि कई दिनों से निराहार रहने वाला व्यक्ति जैसे ही एक दिन भोजन करने बैठा एक अतिथि आ गया और भूखे व्यक्ति ने अपनी भूख शान्त करने के स्थान पर अतिथि को भोजन समर्पित कर दिया। नर में नारायण के दर्शन करना इसी आस्था की अपमान्यता है। 'ना जाने केहि भेस में नारायण मिलि जाइ'। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि अतिथि के रूप में आकर विदेशियों ने हमें धोखा दिया, लूटा और हम पर शासन कियाः फिर भी अतिथि–सत्कार का हमारा धर्म बना रहा।

त्याग और संयम

भारतीय संस्कृति सदैव त्यागनिष्ठ रही है। त्याग भाव से ही भोग की भी कल्पना की गई है। 'तेन त्यक्तेन भुज्जीथा'। भगवत गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है – 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन[9]। ' भगवान राम की पूजा इसलिए हुई कि – राजिव लोचन राम चले तजि, बाप को राज बटाऊ की नाई। त्याग ने ही बुद्ध को भगवान बनाया। गाँधी को महात्मा बनाया और अरविन्द को महर्षि की पदवी दिलाई। त्याग से ही तप और संयम निःसृत होते हैं। मन, वचन तथा कर्म पर संयम ही तप है और यही ऐहिक जगत का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कहा गया है कि तप के बल से ही ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं। इन्द्रियों पर संयम संसार के सुख–भोग में भी त्याग का भाव तथा मन, वाणी एवं शरीर के तप की साधना हमारी परम मान्यता रही है।

निष्कर्ष

भारतीय संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके अन्दर अतिथि देवो भवः, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना ने ही उसको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। भारतीय संस्कृति ही सामाजिक समरसता का समन्वयकारी रूप धारण करती है तथा सभी संस्कृतियों से समन्वय स्थापित करने की श्रेष्ठ भावना रखती है। भारतीय संस्कृति की यही सामाजिक समरसता की भावना वास्तव में भारत को ''अतुल्य! भारत'' बनाती है।

सन्दर्भ

- 1–4: पाण्डेय रामशकल (2012): उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, अग्रवाल प्रकाशनः आगरा पृष्ठ सं. 518
- 5–9: पाण्डेय रामशकल (2012): उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, अग्रवाल प्रकाशनः आगरा पृष्ठ 519
- पचौरी. गिरिश (2015): समयकालीन भारत और शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020): शिक्षा मंत्रालयः भारत सरकार।
- सिंह जे.पी. (2022): समाज शास्त्र अवधारणाएं एंव सिद्धान्त, पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- राजपूत. जे. एस. (2023): शिक्षा एंव इतिहास परिवर्तन की चुनौतियां, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली।

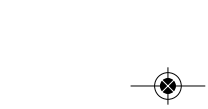

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:18 AM Page 38

गांधी दर्शन : मानव अधिकारों की आधारपीठिका

– अंशु गुप्ता

मानव के अधिकार एवं कर्तव्य समाज में उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन्हीं अधिकारों और कर्तव्य को मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न समाज सुधारकों ने अपना तन मन धन मानव अधिकारों की रक्षा में न्यौछावर कर विश्व बन्धुत्व पर विशेष बल दिया जिनमें महात्मा गाँधी, राजा राममोहन राय, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

मानव अधिकारों के हक में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई की शुरूआत हाड़–माँस के एक सामान्य से दिखने वाले इंसान ने दक्षिण अफ्रीका में रेलगाड़ी में सफर के दौरान की और अपनी अंतिम साँस तक इस लड़ाई को जारी रखा। आगे चलकर यही व्यक्ति जन–जन की चेतना बन महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाज को बदलने के लिए गाँधी ने स्वयं को बदल दिया था। अहिंसा को उन्होंने बुनियादी जीवन मूल्य माना। सत्य को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जिसका वार कभी निष्फल नहीं होता।

विश्व के विभिन्न मनीषियों, समाज सुधारकों ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि गाँधी के बिना मानवाधिकार की संकल्पना अधूरी रह जाती है। मानवाधिकार की पृष्ठभूमि गाँधी की दृष्टि और दर्शन का ही परिणाम है।

अधिकार और कर्तव्य की अवधारणा के बीज भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही उपस्थित रहे हैं। चौदहवीं–पन्द्रहवीं शताब्दी से ही इस संकल्पना का प्रस्फुरण तत्कालीन समाज में व्याप्त चिन्तन में दृष्टिगत होता है। उसकी स्थापना मनुष्य की गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए की गयी थी। सत्रहवीं शताब्दी में इसके विकास के संबंध में कुछ आशा की किरणें दिखाई दीं और उन आशा की किरणों के कारण समाज में एक नई क्रांति के बीज के रूप में कुछ समाज सुधारकों ने जन्म लिया और उन्होंने इस का भार अपने सबल कंधों पर लेकर विश्व में शांति और समन्वय की स्थापना के लिए एक जन आन्दोलन की शुरूआत की। वैसे तो अठारहवीं–उन्नीसवीं शताब्दी, जिसे भारत के पुनरोत्थान का काल कहा जाता है, में सांस्कृतिक चिन्तन की अवधारणा के साथ–साथ मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य की अवधारणा को भी व्यापक जनसमर्थन मिला। इस शताब्दी में ऐसे मनीषियों, विचारकों, समाज सुधारकों और राष्ट्रभक्तों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इनमें राजा मोहन राय, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एवं मदर टेरेसा (18–19 वीं शताब्दी में) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी ने कर्मप्रधान विश्व की संरचना करने में महत्वपूर्ण अवदान दिया है। इन लोगों ने जगत को विश्व बंधुत्व का ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और समीचीन है जितना उस दौर में था।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में गाँधीजी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइन्स्टाइन ने कहा था कि "आने वाली पीढ़ियाँ इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि हाड़–मांस का ऐसा कोई

इंसान इस धरती पर पहले कभी हुआ था।''

मानवाधिकार की संकल्पना बिना गांधी के अधूरी है, क्योंकि मानवाधिकारों की सांस्कृतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि गांधी की दृष्टि और उसके दर्शन पर ही आधारित है। अहिंसा के पुजारी गांधी ने, सभी विचारों के बीच एक ऐसा समन्वय स्थापित किया जहां से विश्व को व्यक्ति के मानवाधिकारों के लिए एक दिशा मिली।

गांधी जी की मानवाधिकारों के लिए लड़ाई तब शुरू हुई जब दक्षिण अफ्रीका में उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, और उन्हें रेलगाड़ी में सफर नहीं करने दिया गया एवं उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया। तब उन्होंने वहां बसे भारतीय समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जांच पड़ताल की। उन्होंने वहां बसे भारतीय समुदाय के लोगों की मदद की ताकि वे भेदभाव के शिकार न हो सकें। एक सहमे हुए भारतीय वकील ने दबे और बेसहारा तथा अधिकारहीन लोगों को उनके मानव अधिकार दिलाने में महारत हासिल कर ली। उन्होंने कानूनी प्रस्तुतीकरण में आत्मविश्वास हासिल किया एवं वे सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। आने वाले कई हफ्तों तक उनके खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन एवं विरोध हुआ।

जब 1899 में बोर युद्ध हुआ तो उन्होंने करीब हजार लोगों का दस्ता तैयार किया जो युद्धभूमि में जाकर घायलों एवं अपंगों की देखभाल व बचाव का कार्य करता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद से लगभग एक लाख भारतीयों को, जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, समान अधिकार दिलाने की उन्होंने पैरवी की। उन्होंने भारतीयों से परमिट के नये नियम का विरोध करने को कहा। सत्याग्रह व अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन उनके प्रमुख व शक्तिशाली हथियार बने। गांधी का समन्वयवादी सिद्धांत मनुष्य के विवेक की धुरी था और सत्याग्रह और अहिंसा की बुनियाद पर कायम था। गांधी ने अहिंसा के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसकी कसौटी विश्व के सभी धर्मग्रन्थों के मूल में थी। इस संदर्भ में बात को और अधिक प्रमाणित करने के लिए गांधीजी के कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं। गांधी जी लिखते हैं – ''अहिंसा व्यापक वस्तु है। हिंसा की होली की लपेट में आए हुए पामर (दुष्ट) प्राणी हैं। 'जीवै जीव अधारा' की बात गलत नहीं है। मनुष्य क्षण भर भी बाह्य हिंसा के बिना नहीं जी सकता। खाते–पीते, उठते–बैठते सब कर्मों से, इच्छा से निकलने का उसका महाप्रयास हो, उसकी भावना में अनुकम्पा हो। ''गांधीजी को कभी भी नहीं लगा कि राज्य की हिंसा निन्दनीय है और क्रांतिकारियों की हिंसा स्वीकार्य है। इस मान्यता के लिए उन्होंने अपने जीवन में काफी लानत भी सही। इसका तात्पर्य यह है कि गांधीजी की करनी और कथनी में कोई भेद नहीं था। वे जिसका विरोध करते थे उस पर मजबूती से खड़े दिखते थे। उनका जीवन ''प्राण जाये पर वचन नही जाए'' के सिद्धांत पर आधारित था।

अज्ञानता, अंधविश्वास से मुक्त, विवकेशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता को अपनाने वाले तथा अहिंसा परमों धर्मः का नींव डालने वाले महात्मा गांधी का चिन्तन और दर्शन शांति, बंधुत्व, सहिष्णुता, विकास और एकता जैसे विचारों से अनुप्राणित था। गांधीजी के जितने भी सिद्धांत देश व विदेश में प्रतिपादित हुए, उन सब के मूल में संकल्प का ताना–बाना था। उनका मानना था कि समाज को बदलने के लिए पहले स्वयं की धारणा और दृष्टि को बदलना होगा, तभी हम दूसरे को बदलने के लिए प्रभावित

कर सकते हैं। वे व्यक्ति की आन्तरिक भावनाओं की एकाग्रता के सहारे सामासिक संस्कृति की बुनियाद रखना चाहते थे तथा रचनात्मक कार्यों के द्वारा देश के लोगों को अधिकार और कर्तव्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की धुरी समझते थे। वे विचार–विमर्श, परस्पर विनिमय तथा वैज्ञानिक ताने–बाने के सहारे प्रगतिशील विश्व की रचना करना चाहते थे जिसमें वे युवाओं की सकारात्मक सोच को विशेष महत्व देते थे।

उनका मानना था कि हम सभी एक नियामक शक्ति की सत्ता के अन्तर्गत निवास करते हैं और इसलिए हमें कभी उस अदृश्य सत्ता को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। वे इंसानों द्वारा मार्यादाओं को लांघते हुए प्रकृति के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के घोर विरोधी थे। वे प्रकृति और मनुष्य के बीच ऐसा अभेद संबंध स्थापित करना चाहते थे जो प्रकृति की साधना के साथ एकात्म संबंध स्थापित करने में सफल हो सकें। गांधी जी का कहना था हिंसापूर्ण समाज में हम अहिंसा को सर्वोच्च मानवीय मूल्य के तौर पर स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं तो हम उसमें अपने साथ–साथ दूसरों के लिए भी उसी मूल्य को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। गांधी की अहिंसा पारम्परिक धार्मिक अहिंसा से इस अर्थ में भिन्न है कि वह किसी धार्मिक आदर्श और किसी मूल्य की अनुगामी नहीं है बल्कि वह तरह–तरह के धर्माचरणों की कसौटी पर स्वयं दिखाई देती है। गांधी जी के लिए अहिंसा केवल आदर्श नहीं है बल्कि बुनियादी जीवन मूल्य भी है। संयम और करूणा की व्याख्या करते हुए गांधी जी ने लिखा है, संयम केवल दूसरे पर ही जाने वाली कृपा नहीं है बल्कि खुद के जीवन को जीने के लिए बुनियादी बोध है।

संसार का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हिंसा का उपदेश देता हो या मार्ग बताता हो। विश्व में जितने भी चर–अचर प्राणी हैं, उन सबमें एक दूसरे के प्रति सहयोग, आपसी भाईचारा, परस्पर सद्भाव, सर्वधर्म समभाव का तत्व विराजमान है। गांधीजी की आंतरिक साधनों और दिनचर्चा में भी मानव अधिकारों की साफ झलक दिखाई पड़ती है। उनकी अपनी दैनिक दिनचर्चा में भी मानव अधिकारों की साफ झलक दिखाई पड़ती है। अपनी दैनिक दिनचर्चा में दूसरों के अधिकारों का हनन न हो, इसका उन्होंने हमेशा ध्यान रखा, चाहे वो पूजा का समय हो, चाहे वो रात्रि में सोने का समय हो, चाहे वो साधना का समय हो, सब में वे इस बात का ध्यान रखते रखते थे कि मेरे कारण किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समष्टिगत अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो। वे कर्म पर आधारित विश्व की सरंचना को देखना चाहते थे। उन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था उतनी ही प्रिय थी जितनी भारतीय कर्म व्यवस्था। वे दोनों के परस्पर सहयोग से एक ऐसे विश्व की नींव रखना चाहते थे जिसमें धर्म, कर्म, जाति, ऊँच–नीच सब कुछ एक में समा जाये और विश्व का अस्तित्व "सर्वे भवन्तु सुखिनः" एवं 'ईशावास्यमिदम् सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत' के सिद्धांत पर कायम रहे। गांधी जी उपनिषद के इस मंत्र से बहुत ही प्रभावित थे और इसे वे सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति का तथा ऋषियों की वाणी को अनोखा वरदान समझते थे।

वे इसके घोर विरोधी थे कि ब्राह्मण के यहां पैदा हुआ बच्चा, पैदा होते ही कुलीन वंश का माना जाएगा और हरिजन का बच्चा जन्म लेते ही छुआछुत के अभिशाप से ग्रस्त हो जाएगा। उनके आश्रम में भी इस भेद–भाव के प्रति उनका गुस्सा हमेशा फूटता रहता था और वे कभी–कभी आश्रम के लोगों

को सख्त हिदायत देते रहते थे कि हमारे आश्रम में कोई भी व्यक्ति ऊँच–नीच की मानसिकता न रखे, परस्पर सद्भाव से रहे और सबमें ईश्वर का वास देखें, क्योंकि उनके दर्शन में इन्सानियत को खास महत्व दिया गया है। वे इन्सानियत के चश्मे से सभी धर्मों के प्रमुख ग्रंथों का परायण करते थे। वे कहा करते थे कि सभी जाति के इन्सानों के खून का रंग एक ही होता है। यदि ईश्वर के द्वारा जाति को प्रधानता दी जाती तो वे उनके लहू के रंग को भी अलग–अलग बना देते। वे हमेशा कहा करते थे, चाहे हिन्दू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे ईसाई का हो या सिख का हो, लहू का रंग एक ही होता है। इस सम्बन्ध में वे आश्रम वासियों को हमेशा एक उदाहरण देकर कहा करते थे कि जिस प्रकार कफन और हवन के धुंओं के रंग में कोई अन्तर नहीं होता है, उसी प्रकार इन्सानियत के लहू के रंग में भी कोई अन्तर नहीं होता है।

उनकी साधना ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' के सिद्धांत पर आधारित थी, और उनकी सोच ''एकम् सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'' पर आधारित थी। वे मन, कर्म, वचन तीनों से एक थे तभी वे कह सके कि 'मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है'। उनका कहना था कि सत्य शाश्वत है। वे सत्य के अवतार थे और अपने जीवन में वे 'सत्यमवद, धर्ममचर' का अक्षरशः पालन करते थे और आश्रमवासियों को भी इसी सूत्र में बंधने की सीख देते थे। वे गीता के कर्म एवं ज्ञान योग के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। वे विश्व के सभी धर्मग्रंथों में मानवीय संवेदना, मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा के सूत्र को खोजते रहते थे, और जहाँ जो जिस रूप में मिलता था उसे वे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते। इन सूत्रों पर संवाद और बहस भी खूब करते थे। वे उपनिषदों की विचारधारा से विशेष प्रभावित थे तथा इसके प्रति हमेशा सजग थे और वे कर्म की शिक्षा को सर्वोपरि महत्व देते थे। वे भारतीय चिन्तन धारा के उस मार्ग के अनुयायी थे, जिसमें ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की त्रिवेणी बहती है। वह अनुभवजन्य ज्ञान की शालाका के ऐसे प्रतिमूर्ति थे, जिसके स्पर्श मात्र से ही लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। उनकी वाणी में राष्ट्रभक्ति और जनकल्याण की अजस्त्र धारा निरन्तर बहती थी।'

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गांधी–दर्शन के बिना शांति और मानव अधिकारों की संकल्पना बेमानी होगी क्योंकि गांधी जी ने जिस इन्सानियत की बुनियादी अवधारणा का बीज बोया उसकी आधारशिला सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शारीरिक श्रम, सादगी और सत्याग्रह पर आधारित थी। सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए गांधीजी ने लिखा है – सत्याग्रह का अर्थ है अपने घोर विपक्षी के सत्य में भी, उसकी संभावना में भी आस्था रखना। विश्व में यदि कहीं भी मानव अधिकारों की अवधारणा के संबंध में विमर्श व बहस होगी तो उनमें गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जिक्र अवश्य होगा। यह सर्वविदित है कि गांधी जी का जीवन स्वयं अपने लिए नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए समर्पित था। जिसका जीवन हमेशा दूसरों के लिए रहा हो, उससे अधिक परमार्थ व मानव अधिकार की बात करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता।

उनके जीवन–दर्शन की मूल संकल्पना में व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और उसके सम्मान की बातें कूट–कूट कर भरी थीं। गांधी जी मनुष्य के रूप में अंग्रेजों से भी प्राणी होने के कारण प्रेमभाव रखते थे। उन्हें भारत में ही नहीं अपितु विश्व में शांति का अग्रदूत, दलितों का मसीहा तथा सेवाभाव को प्रेरित

करने वाले जननायक के रूप में जाना जाता है। गांधी जी मानते थे कि शरीर सेवा के लिए प्राप्त है और ह्रदय आत्म दर्शन के लिए। गांधी जी मानते थे कि उन्होंने शरीर सेवा के लिए प्राप्त ही नहीं किया बल्कि उसको जीया भी। उनका विचार था केवल सत्य बोलने से ही मनुष्य एवं विश्व का कल्याण नहीं होगा बल्कि उसे अपनी अंतरात्मा में रखते हुए सत्य को जीने की कला लानी होगी। ज्ञान और कर्म की साधना करने वाले तथा गीता के दर्शन को अपने जीवन की बुनियाद बनाने वाले गांधी की विचाराधारा की जड़ में मानव अधिकारों की संकल्पना का बीज स्पष्ट रूप से प्रतिम्बित होता है। अहिंसा और सर्वधर्म समभाव की गांधी जी की अवधारणा मानव अधिकारों की आधार शिला है। यह अकारण नहीं है कि गांधी जी का सबसे प्रिय नरसी मेहता का निम्नांकित गुजराती भजन मानव अधिकार की ही गाथा कहता है:

वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाणे रे।
पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे।।
सकल लोकमां सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे।।
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे।
जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे।।
मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे।।
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निबायां रे।
भणे नरसैंया तेनुं दरसन करतां, कुल एकोतर तायां रे।।

❍❍❍❍❍

अगर आप खेलेंगे, तो आप चमकेंगे। अगर आप नहीं खेलेंगे, तो आप कभी नहीं चमकेंगे। और इसीलिए खेल किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:18 AM Page 43

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों का विलेश्णात्मक अध्ययन

— ललित मोहन जोशी

देशकाल एवं परिस्थिति, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सूत्रपात हुआ है। इस नीति की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नवीन शैक्षिक संरचना 5+3+3+4 है। इसमें प्रथम 5 वर्ष की शिक्षा बुनियादी स्तर की है, जिसमें मुख्यतया प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तथा कक्षा 1 व 2 की शिक्षा शामिल है, इस स्तर पर बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की बुनियाद मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा के इस क्षेत्र में हुए शोध अध्ययन इस तथ्य की पृष्टि करते हैं कि यह अवस्था बच्चों के शैक्षिक एवं व्यक्तिगत विकास, दोनों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में भारत में इस क्षेत्र की शिक्षा में स्वतंत्रता के पश्चात अब तक किए गए प्रयासों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस हेतु वर्णित अनुशंसाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा राष्ट्र के विकास की आधारशिला है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था किसी राष्ट्र विशेष की विविध क्षेत्रों की उन्नति को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की स्थिति उसके विकास की गति को महत्वपूर्ण ढ़ंग से प्रभावित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की समृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। यही कारण है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए शिक्षा व्यवस्था में समुचित मात्रा में निवेश करने एवं संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था का प्रत्येक स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, यथा उच्च शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक कि माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में वांछित सुधार नहीं हो जाते। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की सुदृढ़ता, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सुधार के अभाव में संभव नहीं है। यही कारण है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख, वर्तमान में शैक्षिक विमर्श एवं शोध का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस लेख में अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास किया गया है:

- भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रारंभ कब से हुआ।
- स्वतंत्रता के पश्चात इस क्षेत्र में क्या–क्या प्रयास किए गए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के संबंध में क्या–क्या प्रावधान किए गए हैं।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं तथा इनका समाधान किस प्रकार संभव है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का अर्थ

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा गर्भधारण से लेकर आठ वर्ष की आयु तक होती है। विकासात्मक मनोविज्ञान के सैद्धांतिक ढ़ाँचे और सीखने संबंधी सिद्धांतों के अनुसार यह समय बच्चे के विकास का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है। इस अवधि को 6 से 8 वर्ष की अवस्था तक बढ़ाने का एक कारण पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के बीच संक्रमण की अवधि को सरल बनाना है।

कौल (2015) के अनुसार, ''प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की संकल्पना बच्चों के लिए एक ऐसे समेकित, समग्र कार्यक्रम के रूप में की गई है, जिसमें देखभाल, स्वास्थ्य तथा पोषण के सभी प्रावधान शामिल हैं।''

आयु के दृष्टिकोण के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के तीन स्तर हैं जो कि इस प्रकार हैं:

- **प्रारंभिक प्रेरक स्तर** – तीन वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे जिन्हें गृह आधारित प्रेरक वातावरण एवं देखभाल की आवश्यकता होती है।
- **प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर** – 3 से 6 वर्ष के बच्चे जिन्हें समग्रता पर आधारित दृष्टिकोण वाले केंद्र आधारित प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है।
- **प्रारंभिक शिक्षा स्तर** – 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जो कक्षा 1 व 2 में अध्ययन कर रहे होते हैं।

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ ब्रिटिश काल से माना जा सकता है क्योंकि इससे पूर्व भारत में सामान्यतया शिक्षा के दो स्तरों प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का ही वर्णन प्राप्त होता है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम वर्ष 1944 में सार्जेंट कमीशन ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रतिवेदन में यह उल्लिखित है कि छह वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिशु–विद्यालयों की स्थापना की जाए। इनमें केवल बाल शिक्षणशास्त्र में निपुण महिलाएँ ही अध्यापन कार्य करें। इस अवस्था में बच्चों को शिष्टाचार की शिक्षा प्रदान की जाए तथा इस अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा देशव्यापी, निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत वर्ष 1964 – 66 में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चों को 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा बच्चे की आयु छह होने पर ही उसे पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तदुपरांत भारत सरकार द्वारा 22 अगस्त 1974 में ''राष्ट्रीय बाल नीति'' पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह उल्लिखित है कि ''बच्चे सर्वोपरि महत्व की राष्ट्रीय परिसंपति हैं। मानव संसाधनों के विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए जिससे बड़े होकर हमारे बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ, समाज के लिए अपेक्षित दक्षताओं तथा अभिप्रेरणाओं से संपन्न हृष्ट–पुष्ट

नागरिक बन सकें।''

इसके बाद राष्ट्रीय बाल नीति (1974) में बच्चों के पालन–पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। राष्ट्रीय बाल नीति का अनुसरण करते हुए भारत में 2 अक्तूबर, 1975 में समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ हुई। इस योजना मे माध्यम से निम्नलिखित छह सेवाएँ समन्वित रूप से प्रदान की जाती हैं:

- पूरक पोषण
- विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
- प्रतिरक्षण
- स्वास्थ्य जाँच
- रेफरल सेवाएँ

इस योजना में आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है एवं प्राकृतिक संसाधनों से अवगत कराया जाता है। इसका मूल उदेश्य यह है कि जब बच्चे प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करें तो वह उस स्तर हेतु पूर्व से ही तैयार हों तथा अधिक सहजता एवं सुगमता से शिक्षा अर्जित कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 6 के भाग 5 में शिक्षुओं की देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं:

- बच्चों के विकास के विविध पक्षों को अलग–अलग करके नहीं देखा जा सकता। पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य को तथा बच्चों के सामजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को समेकित रूप में ही देखना होगा। इस दृष्टि से शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- प्राथमिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केंद्र खोले जाएँगे। जिससे अपने छोटे भाई – बहनों की देखभाल करने वाली बालिकाओं को विद्यालय जाने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- शिशुओं की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को पूरी तरह समेकित किया जाएगा ताकि इससे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मानव संसाधन विकास में सामान्य रूप से सहायता प्राप्त हो सके।

भारत सरकार ने प्रांरभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन (86वाँ संविधान संशोधन वर्ष 2002) करते हुए यह व्यवस्था की है कि ''राज्य बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते।'' प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर व्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 में यह कहा गया है कि ''छह से आठ वर्ष की आयु का समय बहुत ही संवेदनशील और निर्णायक होता है जब जीवनभर के विकास का आधार और समस्त संभावनाओं

के द्वार खुलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से यह ज्ञात होता है कि यह अवस्था मस्तिष्क के विकास के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह अवस्था भावी शैक्षिक जीवन की आधारशिला के समान होती है। यदि इस चरण में सहयोग न मिले या उपेक्षा बरती जाए तो इसके परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं।''

इसके अलावा एक अच्छे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए यह भी कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के अच्छे कार्यक्रम का असर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। यह अपने आप में इस माँग का पर्याप्त कारण बनता है कि सभी बच्चों को आरंभिक शिक्षण और पालन–पोषण की आवश्यकता है।

इन्हीं विचारों के साथ वर्ष 2010 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर एक आधारपत्र का प्रकाशन किया गया। यह आधारपत्र कुल पाँच भांगों में विभाजित है, जिसकी संपूर्ण विषयवस्तु निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समाहित है –

- प्रारंभिक बाल्यावस्था पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- भारतीय संदर्भ – स्थितिपरक विश्लेषण और मौजूदा परिदृश्य
- महत्वपूर्ण मुददे, सामाजिक वास्तविकताएँ और नीतिगत निहितार्थ
- आगे बढते कदम – बदलते हुए नीतिगत प्रतिमान
- पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के लिए दिशानिर्देश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों को तैयार करने के लिए जब तक कि वह छह वर्ष की आयु को पूर्ण न कर लें, आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से सरकार ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

वर्ष 2013 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित दो अत्यंत महत्वूपर्ण दस्तावेज़ अस्तित्व में आए जो कि राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यचर्चा की रूपरेखा है। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 इस क्षेत्र की उन्नति हेतु किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह नीति प्रस्तावना से लेकर समीक्षा तक कुल 13 भागों में विभाजित है। इस नीति की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, ''प्रारंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है। यह अवस्था उत्तरजीविता हेतु महत्वपूर्ण है। बढ़ते हुए वैज्ञानिक प्रमाण यह पुष्टि करते हैं कि इस अवधि में मस्तिष्क अपने विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाओं से गुजरता है जो पूरे जीवन चक्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मार्गों और व्यवहार को प्रभावित करती है। जीवन के इस स्तर पर आने वाली कमियाँ, मानव विकास में स्थायी और संचयी विपरीत प्रभाव डालती हैं।''

इस नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा से संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्षमतापूर्ण, समावेशी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया गया है।

इसके साथ ही इस नीति में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, क्षमता को सुदृढ़ करने, इस हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों का समर्थित निरीक्षण करने, शोध, मूल्यांकन एवं प्रलेखीकरण करने, जागरूकता का प्रसार करने और इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने तथा प्रत्येक पाँच वर्ष बाद किए गए कार्यों की समीक्षा करने संबंधी सुझाव दिए गए हैं।

वर्ष 2013 में ही राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2013 का निर्माण किया गया। इसमें स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था हेतु उचित पाठ्यचर्या के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इन समस्त प्रयासों के उपरांत वर्ष 2014 में राष्ट्रीय आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा परिषद् का गठन किया गया। इस परिषद् को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इस संस्था से यह अपेक्षा की गई कि यह प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मानकों तथा संबद्ध क्रियाकलापों की पद्धति उपलब्ध कराएगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के उदेश्य से क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा प्रदान करने के प्रयासों के क्रम में वर्ष 2016 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों, शिक्षक–प्रशिक्षकों, नियोजनकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों एवं पूर्व प्राथमिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशानिर्देश का प्रकाशन किया गया है। इस दिशानिर्देश पुस्तिका में आठ अध्याय है, जो क्रमशः परिचय, भौतिक आधारभूत संरचना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्टाफ, प्रवेश प्रक्रिया, पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्चा, सुरक्षा–स्वास्थ्य–स्वच्छता और पोषण, रिकॉर्ड रजिस्टर पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा समन्वयन व अभिसरण हैं। इस दिशानिर्देशिका में उक्त प्रत्येक शीर्षक से संबधित पक्षों पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से विचार–विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रावधन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाग 1 का शीर्षक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा – सीखने की नींव है। इस नीति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 10+2 की प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 की नवीन व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इस व्यवस्था के प्रथम पाँच वर्षों में आँगनवाड़ी/पूर्व प्राथमिक/बालवाटिका तथा कक्षा 1 एवं 2 को सम्मिलित किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के महत्व का उल्लेख करते हुए इस नीति में यह कहा गया है कि –

''बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास छह वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उनके आरंभिक छह वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। अतः ई.सी.सी.ई. में निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने

के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे।''

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जहाँ एक ओर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है, वहीं दूसरी ओर इसमें यह चिंता व्यक्त की गई है कि वर्तमान समय में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे गुणत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से वंचित हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। अध्ययन में सुलभता की दृष्टि से इस लेख में इन सुझावों का वर्णन इन शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है –

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की पाठ्यचर्या

शिक्षा नीति में इस संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आठ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दो भागों (0 से 3 वर्ष और 3 से 8 वर्ष) में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु पाठ्यचर्चा की रूपरेखा और उत्कृष्ट पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं शोध परिणामों का अध्ययन कर प्रयोग किया जाएगा। साथ ही, भारत में शताब्दियों से प्रचलित कुछ विशिष्ट विधाओं, जैसे – कथा, कहानियों, खेल, गीत इत्यादि को भी पाठ्यचर्चा में सम्मिलित किया जाएगा। इस स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के शारीरिक एवं संज्ञानात्मक पक्षों के विकास पर ध्यान देने के साथ–साथ उनमें प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का विकास करने का प्रयास किए जाने का सुझाव भी इस नीति में दिया गया है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित शिक्षणशास्त्र

शिक्षा के किसी स्तर विशेष की पाठ्यचर्चा में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी प्रकृति के अनुरूप शिक्षण शास्त्र की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु इस स्तर के अनुरूप विविध शिक्षण विधियों, क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। नीति में इस स्तर के शिक्षण हेतु लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल एवं खोज आधारित शिक्षा को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है। बच्चों में संख्या एवं भाषा ज्ञान के विकास हेतु विविध प्रकार के खेल, कला, संगीत एवं कठपुतलियों के खेल के प्रयोग का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उनमें मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करने और आपसी सहयोग का विकास करने संबंधित सुझाव भी दिया गया है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण

शिक्षा के किसी भी स्तर की गुणवत्ता उस स्तर विशेष के शिक्षकों की कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में नियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। नीति में यह उल्लिखित है कि इस स्तर के शिक्षकों के प्रारंभिक कैडर को तैयार करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित शिक्षण शास्त्रीय पाठ्यचर्चा का व्यवस्थित प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। बारहवीं कक्षा

उतीर्ण आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों को 6 माह का प्रमाणपत्र कार्यक्रम तथा इससे कम शैक्षिक योग्यताधारी शिक्षकों को एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराने का सुझाव दिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यतया प्रारंभिक साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं ई.सी.सी.ई. के अन्य पक्षों को भी सम्मिलित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डी.टी.एच. तथा स्मार्टफोन के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उचित मूल्यांकन भी किया जाएगा। भविष्य में इस क्षेत्र हेतु व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडर को तैयार करने के साथ ही उनके सतत व्यावसायिक विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास करने संबंधी सुझाव भी शिक्षा नीति में दिए गए हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के केंद्र तथा उनकी स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुलभ हो सके, इस हेतु सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नीति में यह भी उल्लिखित है कि अग्रलिखित चार प्रकार के केंद्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी –

- पूर्व से ही अत्यधिक सशक्त रूप से अकेले चल रहे आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से।
- विद्यालयों के साथ स्थित आँगनवाड़ियों के माध्यम से।
- वे पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं एवं 5 – 6 वर्षों से कार्यरत हैं।
- अकेले चल रहे पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से।
- उपर्युक्त सभी केंद्रों में प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भर्ती किए जाने का भी शिक्षा नीति में प्रावधान दिया गया है।

आधारभूत संरचना की उपलब्धता

इस नीति में आँगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान देते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। नीति में यह उल्लिखित है कि इस स्तर के शिक्षकों के सशक्तीकरण के साथ ही आँगनवाड़ी केंद्रों में उच्चतर गुणवतायुक्त आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक आँगनवाड़ी में उचित प्रकार से डिजाइन किया गया एक बाल सुलभ एवं हवादार भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें खेलने की सामग्री भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन योजना एवं स्वास्थ्य जाँच परीक्षणों को भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया है। नीति में यह सुझाव भी दिया गया है कि इस स्तर की शिक्षा को चरणबद्ध रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में भी प्रारंभ किया जाएगा।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन एवं क्रियान्वयन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के नियोजन तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने का सुझाव दिया गया है। इस स्तर की

शिक्षा के एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल के गठन का सुझाव भी शिक्षा नीति में दिया गया है।

प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वितीय आधारभूत सिद्वांत में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है। नीति में यह उल्लिखित है कि पढ़ने और लिखने के साथ ही संख्याओं से संबंधित कुछ मूलभूत संक्रियाएँ करने की क्षमता, भावी विद्यालयी शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। शिक्षा नीति में इस बात के प्रति चिंता व्यक्त की गई है कि सरकारी एवं गैर–सरकारी सर्वेक्षणों से यह ज्ञात होता है कि बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा नीति में अतिशीघ्र एक अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है कि वर्ष 2025 तक प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा तीन तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके महत्व का उल्लेख करते हुए शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि सीखने की आधारभूत क्षमताओं को अर्जित करने पर ही विद्यार्थियों के लिए शेष नीति प्रासंगिक होगी। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय) द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने का सुझाव भी इस नीति में दिया गया है।

पूर्वोक्त वर्णित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी मिशन (निपुण भारत) का प्रारंभ किया गया है। इस मिशन में यह भी स्वीकार किया गया है कि जीवन के प्रारंभिक छह वर्ष सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य देश में व्यापक एवं विश्व स्तरीय वातावरण तैयार करना है जिसमें कक्षा 3 के अंत तक बच्चे, पढ़ने–लिखने एवं आधारभूत गतितीय संक्रियाओं की क्षमता प्राप्त कर सकें। इस मिशन का संचालन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह मिशन समग्र शिक्षा अभियान का एक भाग है। इस मिशन की प्रशासनिक व्यवस्था पाँच स्तरों पर की गई जो कि इस प्रकार हैं –

- राष्ट्रीय स्तर
- राज्य स्तर
- जिला स्तर
- विकासखंड स्तर
- विद्यालय प्रबंधन समिति एवं समुदाय सहभागिता स्तर।

इस मिशन की कार्ययोजना 17 भागों में विभाजित है जिसमें इसका परिचय, उद्देश्य, शिक्षक की भूमिका, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, अनुसंधान एवं मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन का निर्माण इत्यादि प्रमुख हैं। उपर्युक्त मिशन को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित समस्याएँ एवं समाधान

भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। परंतु इन प्रयासों का यथेष्ट मात्रा में प्रचार–प्रसार न हो पाने के कारण अधिकांश व्यक्ति इनसे अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि इतने प्रयासों के पश्चात भी इस क्षेत्र में अब तक अपेक्षा के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। वर्तमान में भी इस क्षेत्र में अनेक समस्याएँ एवं चुनौतियाँ हैं जिनके कारण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रभावित हो रही है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ –

- पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्चा, उनके प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में स्पष्ट एवं व्यवस्थित दिशानिर्देशों का अभाव
- इस स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्थित, संगठित एवं संसाधनपूर्ण संस्थाओं का अभाव
- बाल्यावस्था पूर्व एवं देखरेख शिक्षा से संबंधित नीतियों व इस क्षेत्र में किए महत्वपूर्ण कार्यों के प्रचार–प्रसार का अभाव
- संपूर्ण देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु वांछित दिशा–निर्देशों का अभाव
- इस अवस्था की शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अनुरूप पाठ्यचर्चा का अभाव
- इस अवस्था हेतु पठन–पाठन की अवधि एवं शिक्षण विधियों के संबंध में दिशा निर्देशों का अभाव
- इस आयु वर्ग के बच्चों द्वारा अर्जित की जाने वाली शिक्षा के मूल्यांकन संबंधी प्रविधियों का अभाव
- बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र तक लाने, उनकी देखभाल, शिक्षा पोषण एवं सुरक्षित रूप से घर पहुँचाने की समस्या
- निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पूर्व प्राथमिक विद्यालय द्वारा आवश्यकता से अधिक शुल्क लिए जाने से बचाव के संबंध में किसी नियामक संस्था का अभाव।

उपर्युक्त समस्याओं का समाधान निम्नलिखित प्रयासों के द्वारा किए जा सकते हैं –

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के शिक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी स्पष्ट दिशानिर्देशों की व्यवस्था

शिक्षा के किसी भी स्तर की गुणवता एवं प्रभावशीलता, उस स्तर विशेष के लिए नियुक्त शिक्षकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी क्षमताओं पर निर्भर करती है क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, भावी शैक्षिक जीवन की आधारशिला है। अतः इस स्तर हेतु नियुक्त होने वाले शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में आँगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविकाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, परंतु अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, व्यवस्था, व्यवस्थित प्रशिक्षण के अभाव एवं विशेष रूप से शिशु मनोविज्ञान एवं शिक्षा

मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में इन केंद्रो से आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस अभाव को दूर करने के लिए व्यवस्थित दिशानिर्देशों के रूप में विद्या प्रवेश (कक्षा – 1 के लिए गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी करने के लिए विकसित तीन माह के दिशानिर्देश) विकसित कर हितधारकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की पाठ्यचर्चा में क्षेत्र विशेष की भाषा, प्रारंभिक संख्या ज्ञान, शिशुओं को समूह में कार्य करने का प्रशिक्षण देने, उनमें उचित आदतों का निर्माण करने तथा विशेष रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को सम्मिलित किया गया है। शिशुओं को स्वाभाविक रूप से खेल, बालगीत एवं खेलगीत की सर्वोत्तम विधियों को सुझाया गया है। जीवन के आंरभिक वर्षों में मानव शिशु को सिखाने का प्रयास करना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसलिए पाठ्यचर्चा में इस ओर भी ध्यान दिया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु नियुक्त होने वाले शिक्षकों को इस हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित करने हेतु प्रावधान किया गया है ताकि वह इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित कर सकें, जिससे सीखना उनके लिए एक आनंददायी प्रक्रिया बन सके। क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपनी माता से विशेष लगाव रखते हैं तथा उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए इस स्तर के शिक्षण कार्य हेतु महिलाओं को वरीयता प्रदान करने के साथ–साथ माता पिता को भी इस स्तर के बच्चों की शिक्षा के लिए जोड़ने व जिम्मेदारी देने पर बल दिया गया है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु संसाधनपूर्ण संस्थाओं का निर्माण

वांछित संसाधनों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु कुछ आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है। विद्यालय भवन, प्रसाधन, खेल का मैदान, विद्युत एवं पेयजल की उपलब्धता, आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य संसाधन हैं, जिनकी आवश्यकता शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, शिक्षा का वह बुनियादी चरण है जो मुख्य रूप से 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनमें विद्यालयी जीवन एवं भावी शिक्षा प्राप्त करने के प्रति रूचि जाग्रत करने का प्रयास भी करता है। यह तभी संभव हो सकता है जब इन संस्थाओं में उन सभी संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, जो कि इस आयु वर्ग के बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अनुरूप होती है। इन संस्थाओं का वातावरण सरल, सहज एवं आनंददायी होना चाहिए जिनमें बच्चे अपनी रूचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा उनमें विद्यालय जीवन तथा शिक्षा के प्रति रूचि जाग्रत हो सके।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए सुरक्षित हवादार कक्षा–कक्ष और प्रसाधन सुविधाओं से युक्त भवन निर्मित किए जाने चाहिए। इन भवनों की बाहरी एवं भीतरी दीवारें बालमन के अनुरूप चित्रों से चित्रित होनी चाहिए। कक्षा–कक्ष में शिशुओं की शारीरिक आवश्यकताओं

के अनुरूप फर्नीचर की व्यवस्था की जानी, जो कि उनकी सुरक्षा एवं कक्षागत गतिविधियों की दृष्टि से उपयुक्त हों। विद्यालय प्रांगण में खेलने का मैदान होना चाहिए। इन केंद्रों में झूले तथा इसी प्रकार के अन्य खेल के उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। इन विद्यालय में दृश्य–श्रव्य साधनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन शालाओं में पर्याप्त मात्रा में बच्चों की रूचि के खिलौने एवं अन्य खेल सामग्री की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन शालाओं में बच्चों की स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुद्ध पेयजल, शौचालय, पोषाहार की उचित व्यवस्था के साथ ही कुशल परिचारिकाओं की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का व्यवस्थित प्रचार–प्रसार

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा संबंधी प्रयासों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि हमारे देश में भी भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इस क्षेत्र में अलग–अलग समय पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, परंतु इनमें से अनेक प्रयासों का यथेष्ट मात्रा में प्रचार–प्रसार न हो पाने के कारण अधिकांश व्यक्ति इनसे अनभिज्ञ हैं। इसी आवश्यकता के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुंशसाओं पर विकसित बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्चा लागू की गई है। अब इस पाठ्यचर्चा के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्थित रूप से प्रचार–प्रसार करने का प्रयास करना होगा। यद्यपि वर्तमान में भी आँगनवाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, परंतु उन्हें और अधिक व्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा दक्षता युक्त बनाए जाने की आवश्यकता है प्रांरभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों, इस क्षेत्र विशेष में कार्यरत अन्य व्यक्तियों तथा इस क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों के सुझाव भी आमंत्रित किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर निष्ठा 3.0 फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) द्वारा आँगनवाड़ी की सेविकाओं या सहायिकाओं को सीधे प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें संभवतया अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इससे दोहरा लाभ यह होगा कि जहाँ एक ओर सेविकाओं या सहायिकाओं को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम निर्माणकर्ताओं को भी सेविकाओं या सहायिकाओं की व्यावहारिक समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपेक्षित सुधार कर उनकी गुणवत्ता में भी वृद्वि हो सकेगी।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु पठन – पाठन के समय एवं शिक्षण विधियों का निर्धारण

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा स्तर के बच्चों की आयु 3 से 8 वर्ष के मध्य होती है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से इस बात की पुष्टि होती है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अधिक समय तक किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस अवस्था के 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों का पठन – पाठन का समय अपेक्षाकृत कम अवधि का होना चाहिए। तीन वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के

लिए विद्यालय का कुल समय 3 घंटे निर्धारित किया जा सकता है। तत्पश्चात क्रमशः चार एवं पाँच वर्ष के बच्चों के लिए इस अवधि में एक से डेढ़ घंटे की वृद्धि की जा सकती है।

इस अवस्था में प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियों के प्रति भी शिक्षकों को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। इस अवस्था में खेल – खिलौना आधारित कहानी, शिक्षण विधि आदि का अनुसरण करते हुए विविध सामग्रियों एवं मॉडलों की सहायता से भाषा एवं संख्या ज्ञान कराना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। बच्चे स्वभाव से ही खेल एवं लयात्मक गीतों के प्रति रूचि प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यदि इस अवस्था में खेले जाने वाले खेल एवं गाए जाने वाले गीतों को भाषा एवं संख्या ज्ञान के शिक्षण हेतु समायोजित कर लिया जाए तो शायद यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा।

इस आयु वर्ग के बच्चे ब्लॉक्स के माध्यम से विविध प्रकार की आकृतियों का निर्माण करने के प्रति रूचि प्रकट करते हैं। यदि इस खेल के द्वारा उन्हें विविध रंगों, संख्याओं, आकृतियों एवं शब्दों का ज्ञान दिया जा सके तो यह प्रयास अधिक सफल हो सकता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पूर्व से प्रचलित प्रभावशाली विधियों के प्रयोग के साथ ही नवीन विधियों के निर्माण का प्रयास भी किया जाना चाहिए। अधिकतर बच्चों की रूचि कार्टून फिल्मों में होती है, इसलिए शिक्षाप्रद कार्टून फिल्मों का निर्माण कर उन्हें बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना भी बच्चों की शिक्षा में लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु आकलन प्रविधियों का निर्धारण

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस आयु वर्ग के बच्चों द्वारा अर्जित की जा रही शिक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। एक अच्छी आकलन प्रक्रिया उसे ही कहा जा सकता है जो उद्देश्यों एवं विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुरूप हो, सतत हो तथा विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करती हो और वस्तुस्थिति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती हो। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों का आकलन किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस स्तर पर पेपर पेंसिल टेस्ट से वस्तुस्थिति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। लेखन कौशल के लिए केवल पेपर पेंसिल टेस्ट से वस्तुस्थिति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। लेखन कौशल के लिए केवल पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस स्तर के आकलन में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है –

- अध्यापकों द्वारा बच्चों का विविध परिस्थितियों में किया गया सतत अवलोकन।
- भाषाज्ञान एवं समझ के स्तर का निर्धारण करने के लिए बच्चों को पहले उनकी आयु रूचि एवं मानसिक क्षमता के अनुरूप कुछ निर्देश दिए जाएँ, तत्पश्चात बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर उनका आकलन किया जाए।
- संख्या ज्ञान के आकलन हेतु बच्चों को किसी कक्षा – कक्ष में रखी गई एक समान अथवा पृथक–पृथक वस्तुओं को एक निर्धारित संख्या में जैसे बच्चों को संख्या 4 का बोध भली–भाँति हुआ है या नहीं, इसके आकलन हेतु यह कार्य उनसे 4 गेंदे अथवा 2 गेंदों एवं 2 खिलौने लेकर आने का निर्देश देकर भी किया जा सकता है।

बच्चों को उनके घरों से बाल्यावस्था शिक्षा के केंद्रों तक सुरक्षित लाने जाने की व्यवस्था।

प्रत्येक अभिभावक हेतु उनके पाल्यों की सुरक्षा, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बच्चे सुरक्षित रूप से इन केंद्रों तक आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस हेतु अभिभावकों तथा इन केंद्रों के शिक्षकों, दोनों को अपनी – अपनी ओर से सभी प्रयास करने चाहिए। विद्यालय में आने के पश्चात बच्चों की सुरक्षा का दायित्व प्रमुख रूप से शिक्षकों एवं उनके सहायक कर्मियों का है। इसलिए उन्हें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इन केंद्रों में शिशुओं के पोशाहार की व्यवस्था की जाती हो तो उसकी गुणवत्ता का निर्धारण भी शिक्षकों एवं सहायक कर्मियों के द्वारा किया जाना चाहिए।

नियामक संस्था का गठन

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित विद्यालय या शिशुशाओं द्वारा स्थापित विद्यालय या शिशुशाओं द्वारा अभिभावकों से आवश्यकता से अधिक शुल्क लिए जाने जैसी समस्याएँ आती हैं। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए इस क्षेत्र हेतु एक नियामक संस्था का गठन कर किया जा सकता है। इस संस्था का प्रमुख कार्य अभिभावकों को इस प्रकार की समस्याओं से बचाना होना चाहिए। इस संस्था को गुणवत्ता के निर्धारण का अतिरिक्त दायित्व भी प्रदान किया जा सकता है।

पूर्वोक्त वर्णित सुझावों से यह स्पष्ट होता है कि मानव जीवन की शैक्षिक आधारशिला होने के कारण बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गयी है। संयुक्त परिवारों के विघटन एवं माता–पिता दोनों के जीविकोपार्जन में संलग्न होने के कारण इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। परंतु इस स्तर की शिक्षा तभी व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकती है जब इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ एक आनंदायी एवं सुरक्षात्मक बातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के पश्चात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा स्तर की पाठ्यचर्चा पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिनमें विद्या प्रवेश, निष्ठा 3.0 (FLN), निपुण भारत आदि शामिल हैं।

यदि इन सुझावों के लिए उचित कार्ययोजना तैयार कर इन्हें एक व्यवस्थित तंत्र की निगरानी में संपूर्ण देश में लागू किया जाए तो निःसंदेह ही यह प्रयास पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं अधिगम उपलब्धियों से संबंधित विविध समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध होगा। यद्यपि वर्तमान में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इसके पश्चात भी इस क्षेत्र की कुछ विशिष्ट समसयाएँ हैं। इन समस्याओं में वांछित शिक्षक–शिक्षा संस्थाओं का अभाव, प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उपयुक्त पाठ्यचर्या का अभाव, आधारभूत संरचना एवं अन्य आवश्यक संसाधनों का अभाव तथा इस क्षेत्र विशेष में किए प्रयासों के समुचित प्रचार–प्रसार का अभाव इत्यादि प्रमुख है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब इन समस्त समस्याओं का व्यावहारिक हल ढूंढ लिया जाए, अन्यथा इन समस्याओं के समाधान के अभाव में न तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं और ना हीं शिक्षा के अन्य स्तरों की गुणवत्ता में वृद्धि संभव हो सकती है। इन कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रयासों, कार्यक्रमों या अभियानों संबंधित पाठ्य वस्तु को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं सेवा–पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाए। यदि शिक्षा नीति में निहित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संबंधी प्रावधानों का क्रियान्वयन व्यवस्थित रूप से किया जा सके तथा समय–समय पर इस कार्यक्रम का आकलन किया जाए तो अवश्य ही यह प्रयास भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

संदर्भ

- कौल, वनिता 2015. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा – आगे की संभावनाएँ लर्निंग कर्व।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2013. ई.सी.सी.ई. नीति भारत का राजपत्र, भाग 1 खंड 1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर 2013 से उद्धरण लिया गया।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2013. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में किए गए संशोधनों सहित), भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2015 वार्षिक रिपोर्ट 2012 – 13 भारत सरकार, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2019 प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश, नई दिल्ली।
- 2010 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्रक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
- 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
- 2014 राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख तथा शिक्षा परिषद्, 2014 भारत का राजपत्र, भाग 1 खण्ड 1, दिनांक 15 मार्च 2014 से उद्धरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2014।
- 2003 पूर्व प्राथमिक शिक्षा – एक परिचय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

पढ़ाई की कीमत

– राजेन्द्र जोशी

बचपन अतुलित आनंद यानी चंचलता और हंसने–हंसाने का नाम है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, चिंता रहित खेलना, खाना और निर्भय स्वच्छंद फिरना...! कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। इसलिए बचपन का स्वागत उत्साह एवं भावनाओं से हो। बच्चों के पाठ्यक्रम की चर्चा की जाए तो यह मनोरंजन, यानी हंसने–हंसाने के साथ अधिगम (समझ) हासिल करने वाला होना चाहिए। बरसों से यह बात सुर्खियों में रहती आई है कि गैर–सरकारी और निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई के निमित्त मोटी फीस वसूली जाती है। पाठयक्रम के नाम पर भारी–भरकम पुस्तकें बचपन पर थोपी जा रही हैं। पाठ्य सामग्री ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए अभिभावकों पर परोक्ष, तो कहीं–कहीं प्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है। शिक्षा खुलेआम बेची जा रही है और वह भी ऊंचे दामों पर। अभिभावक मजबूरी में खरीद रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के नाम पर ऊंचे दाम पर शिक्षा बिकती है, मोटी रकम वसूली जा रही होती है, ऐसे में संबंधित प्रदेश और देश की सरकार का दायित्व उसे संभालने का होना चाहिए। आए दिन ऐसी खबरें प्रमुखता से छपती हैं कि निजी स्कूल ऊंचे दामों की किताबें और मोटी रकम फीस के तौर पर अभिभावकों से मांग कर रहे हैं।

वर्षों से शिक्षाविद् इसकी मांग कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम चाहे बच्चों का हो या ऊंची कक्षाओं में, एकरूपता होनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम कुछ और हो, गैर–सरकारी निजी स्कूलों के लिए कुछ और। जबकि इसमें एकरूपता परम आवश्यक है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने इस पर सख्ती दिखाई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद निजी विद्यालय द्वारा फीस वृद्धि नियंत्रित करने के लिए अनुशंसाएँ करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमेय) अधिनियम, 2016 एवं नियम 2017 निर्धारित कर लागू किए गए। इस अधिनियम में प्रत्येक विद्यालय में माता–पिता अध्यापक संगम की स्थापना करने और इस संगम की देखरेख में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि निजी विद्यालय इस समिति के जरिए फीस वृद्धि करते हैं, लेकिन शासन और विभागीय अधिकारियों के स्तर से सूक्ष्म निगरानी और नियंत्रण नहीं होने के कारण इन समितियों के नाम पर विद्यालय द्वारा लीपापोती कर शुल्क वृद्धि कर लेने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। नियम और व्यवस्था के नाम पर महज लीपापोती न होकर आवश्यकता इस बात की है कि शासन का प्रत्येक स्तर पर 'फ्रेंड फिलास्फर गाइड' यानी मित्र–दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हो। ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें विद्यालय शिक्षा का कार्य एक पुनीत, सामाजिक दायित्व और अपना स्वयं का कार्य मानकर पूर्ण प्रतिबद्धता तथा ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। वर्तमान में इस सिद्धांत के अनुसार काम कम ही हो रहा लगता है। ऐसा लगता है कि निजी स्कूलों को अपना

पाठ्यक्रम निर्धारण करने और मनमानी फीस वसूलने का अधिकार दे दिया गया है।

शिक्षा का सार्वजानिकीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी हो सकती है, लेकिन बच्चों को क्या परोसा जा रहा हैं, इसकी पड़ताल सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वर्तमान में निजी क्षेत्र को सहायक सामग्री के रूप में पाठ्यक्रम लागू करने और बोर्ड के अतिरिक्त सभी तरीके के परीक्षा पत्र अपने स्तर पर तैयार करने का अधिकार देने से शिक्षा की एकरूपता समाप्त हो रही है, वहीं शिक्षा बेलगाम तरीके से महंगी और बाजार आधारित होती जा रही है।

राज्य और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ–साथ हर विशय के साथ एक सहायक सामग्री की पुस्तक लगाने की छूट देना शिक्षा को महंगी करने की राह तैयार करेगा। जिस प्रकार वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अधिकार सरकार ने अपने पास नहीं रखा, ठीक उसी प्रकार शिक्षा तंत्र की फीस और पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य सरकार ने बाजार के हवाले कर दिया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिस प्रकार केंद्रीय और राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होता है, ऐसे में पाठयक्रम और परीक्षा पत्रों की समानता बनी रहती है।

नई शिक्षा नीति में बोर्ड की अवधारणा तो लगभग समाप्त किया जाना है, जिसके परिणाम भविष्य के गर्भ में है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि निजी शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम सरकारी पाठ्यक्रम से अलहदा न हो। नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पाठ्यक्रम निर्धारण सरकार को करना चाहिए और सहायक शिक्षण सामग्री की छूट पर पाबंदी लगाना चाहिए। इससे निजी शिक्षण संस्थाओं के वेजा पाठ्यक्रम पर लगाम लगेगी। अभिभावकों पर पाठ्यक्रम के नाम पर महंगी किताबों पर अपने आप ही अंकुश लगेगा। उच्च पेशेवर शिक्षा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग का एक ही पाठ्यक्रम होता है, एक ही परीक्षा होती है और उसकी फीस भी सरकार निर्धारित करती है। इसी प्रकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी एक पाठ्यक्रम और एक फीस का निर्धारण सरकारी स्तर पर किया जाना चाहिए, तभी मोटी फीस और महंगे पाठ्यक्रम से निजात मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष रहे देश के ख्यातनाम वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी (1992) की रपट 'लर्निंग विदाउट बर्डन' में वर्णित अनुशंसाओं को नए सिरे से विश्लेषित कर उस पर अमल की आवश्यकता है।

○○○○○

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 59

हमारे लेखक

सौरभ मिश्र
सहायक अध्यापक – कला
राजकीय इण्टर कालेज धोबीघाट,
पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड – 246 149

सुरेखा डिगम्बर खोत
एएआई बंग्ला
नजदीक सरकारी हॉस्पिटल रोड
बुलढाना जिला
महाराष्ट्र – 443 001

वर्षा दास
2176, पार्कव्यू अपार्टमेंटस
बी.–2, बसंत कुंज
नई दिल्ली – 110 070

मोनू सिंह गुर्जर
एसिस्टेंट प्रोफेसर
डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंटरी एजूकेशन
नेशनल कॉउंसिल ऑफ रिर्सच एंड
ट्रेनिंग (एनसीईआरटी), श्री अरविंदो मार्ग
नई दिल्ली – 110 016

अनिल कुमार
विभागाध्यक्ष
शिक्षक–शिक्षा विभाग
आर.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज
धामपुर (बिजनौर)
उ. प्र. – 246 761

ललित मोहन जोशी
असिस्टेंट प्रोफेसर
लक्षमण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय
पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड – 262502

राजेन्द्र जोशी
तपसी भवन
नाथुसर बास, बंगुला नगर
बीकानेर
राजस्थान – 334 004

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 60

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
प्रो. एल. राजा

उपाध्यक्ष
प्रो. अशोक भट्टाचार्य
प्रो. वी. रेघु
प्रो. पी. आदिनारायण रेड्डी
प्रो. सरोज गर्ग
श्री ए. एच. खान

महासचिव
श्री सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष
प्रो. राजेश

संयुक्त सचिव
श्री मृणाल पन्त

सह–सचिव
डॉ. डी. उमा देवी
श्री राजेन्द्र जोशी
डॉ. आशा वर्मा
श्री वाई. एन. शंकरेगौडा

सदस्य
श्रीमती निशात फारूख
डॉ. गोरखनाथ नामदेव कांबले
श्री दुर्लभ चेतिया
डॉ. नीतीश आनंद
श्री सुधाकर मानसिंह सेंगर
श्री वी. उमर कोया
प्रो. ऋतु त्रिवेदी
डॉ. चयनिका उन्याल

सहयोजित सदस्य
डॉ. एस.वी.ए. प्रकाश
डॉ. अजय कुमार

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 61

PS Jan-June'25-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 6/11/2025 11:13 AM Page 62

प्रौढ़ शिक्षा जनवरी-जून 2025, आर.एन.आई. 4551/57

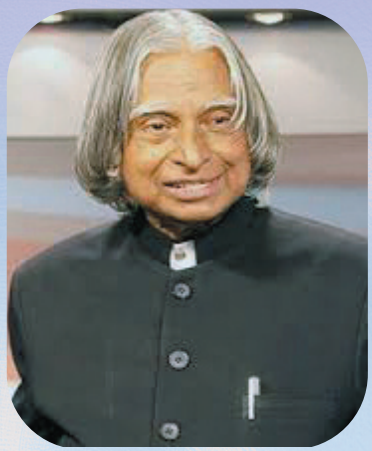

"हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा।"

– डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

भारत के पूर्व राष्ट्रपति

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा 17–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स – ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।

सम्पादक : सुरेश खण्डेलवाल